



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1042]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2012/ज्येष्ठ 10, 1934

No. 1042]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2012/JYAISTHA 10, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2012

का.आ. 1258(अ).—वनसडा राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ वन भू-भाग है जिसमें अच्छी जैव-विविधता है

और इसके पूर्व की ओर डागस वन है, वलसाड जिले के वन भी दक्षिणी सीमा पर है और व्यारा प्रखंड की

उनाई पर्वतमाला का वन क्षेत्र है। उद्यान का अधिकांश भाग अम्बिका जलग्रहण क्षेत्र के एक भाग से बना है ;

और, पूर्व में इस क्षेत्र में बाघों का आश्रय था और चित्तीदार हरिन, मूसंग, भारतीय कस्तूरा, भोकू, चोसिंछा

हिरन, जंगली सुअर, उडन गिलहरी, भूरी चितली बिल्ली, चीता बिल्ली जैसी प्रजातियां और कृन्तक, सरीसृप

और उभयचर की कई प्रजातियों का आश्रय स्थल है पश्चिमी घाट की प्ररूपी क्षेत्र में विभिन्न पक्षी प्रजातियां हैं

और परिक्षेत्र की आर्द्र प्रकृति के कारण यहां औषधीय महत्व की कई झाड़ियां और जड़ी-बूटियों की प्राप्ति

सुकर है तथा यहां पर कई प्रकार की फलोधान, लाइकेन और फर्न अस्तित्वशील है जिसकी वजह से इस वन

की अद्वितीय हैं ;

और, वनसडा राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल के रूप में

पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण और बचाव करना आवश्यक है जिससे कि और वनसडा

राष्ट्रीय उद्यान के आनुवंशिक स्रोतों में सुधार और परिरक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रजनन कार्यक्रम

के माध्यम से स्थानीय प्रजातियों के प्राकृतिक वास को पुरः स्थापना और पुनर्वास किया जा सके ;

और, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (V) और अनुच्छेद (XIV) के साथ पठित और उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना संख्या का. आ. 1267 (अ) तारीख 1 जून, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों की जिनके उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव राजपत्र में उपर्युक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और जिसमें उक्त अधिसूचना की राजपत्र की छपी प्रतियाँ अंतर्विष्ट हैं, 1 जून, 2011 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (V) तथा, खंड (XIV) के साथ पठित उप-धारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनसडा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भीतर जो गुजरात राज्य में नीचे संबद्ध है; से जैसा कि निम्नलिखित उपाबद्ध रूप में दर्शायी गयी सीमा के भीतर पांच किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन (जिसको इसमें इसके पश्चात् वनसडा पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है ।

1. वनसडा पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमाएं -

(क) वलसाड जिले के वनसडा ताल्लुका में वनसडा राष्ट्रीय उद्यान $20^{\circ} 51' 16''$ और $21^{\circ} 21' 22''$ उत्तरो अक्षांश और $73^{\circ} 20' 30''$ और $73^{\circ} 31' 20''$ पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है, जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी मध्यम ऊंचाई है और सहयाद्रि पर्वतमाला तक फैली है ;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदनशील का व्यास क्षेत्र सभी ओर से 0-5 कि.मी. है और संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर औसत दूरी 2 कि.मी. है;

(ग) उद्यान, पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के साथ गुजरात राज्य में पश्चिमी घाट के उत्तरी जोन का प्रतिनिधित्व करता है ;

(घ) वनसडा राष्ट्रीय उद्यान और पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में पश्चिमी घाट के वनों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.2% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ;

(ङ) वनसडा राष्ट्रीय उद्यान और वनसडा पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का मानचित्र और सीमा और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बिंदु अधिसूचना के साथ **उपाबद्ध 1** के रूप में संलग्न है तथा वनसडा पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के अधीन आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबद्ध 2** के रूप में संलग्न है ।

2. वनसडा पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के लिए जोनल महायोजना -

(1) वनसडा पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का जोनल महायोजना, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से तैयार की जाएगी, जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), राज्य में तत्समय प्रवृत्त नगर और ग्राम योजना से संबंधित विधि के अधीन विनिर्दिष्ट है, प्रभागीय कार्य योजनाओं और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देश के अधीन जाएंगे जो इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर तथा केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होंगे ।

(2) जोनल महायोजना इनमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करने की दृष्टि से पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका, राजस्व के सभी संबंधित राज्य विभागों और गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्यक् सहभागिता से, तैयार किया जाएगा ।

(3) जोनल महायोजना, वृक्षहीन क्षेत्र को प्रत्यावर्तित करने, विद्यमान जल निकायों का संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अन्य पहलुओं की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करेगा।

(4) जोनल महायोजना, सभी विद्यमान पूजा स्थानों, गांवों, बस्तियों, वनों के प्रकारों और वनों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्रों, उद्यान क्षेत्रों, फलोधानों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमांकन करेगा।

(5) जोनल महायोजना में चाय बागानों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के भू-उपयोग का हरित उपयोग से गैर हरित उपयोग में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी । तथापि विद्यमान स्थानीय निवासियों की प्राकृतिक वृद्धि के कारण उनकी आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अत्यधिक सीमित कृषि भूमि के भू-उपयोग को बदलने की अनुमति दी जा सकती है ।

(6) 5000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी मानव आवास क्षेत्रों में क्षेत्र विकास योजना होंगी और उन्हें स्थानीय स्व-शासन के मार्गदर्शन के अधीन तैयार किया जाएगा ।

(7) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के लिए जोनल महायोजना तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन लंबित होने तक सभी नए निर्माणों और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों को अधिसूचना के पैरा 4 के उप-पैरा (4) के अनुसार मॉनीटरिंग समिति द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(8) हरित क्षेत्र जैसे कि वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि को पारिणामिक रूप से कम नहीं किया जाएगा और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों को वन क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(9) जोनल महायोजना मॉनीटरिंग समिति के लिए एक निर्देश दस्तावेज होगा जिसे वह उसके द्वारा विनिश्चय करने के लिए उपयोग कर सकेगी ।

(10) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अन्य उपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगी यदि इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने में आवश्यक समझा जाए ।

3. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में विनियमित और निर्बंधनात्मक क्रियाकलाप.- वनसडा पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में समस्त क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा अधिशासित होंगे । इस पैरा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में क्रियाकलाप, इस अधिसूचना के उपाबंध 3 के अनुसार विनियमित होंगे ।

(1) औद्योगिक इकाइयां :

राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर कोई नया प्रदूषणकारी उद्योग को अनुज्ञात नहीं होगा और क्षेत्र में गैर प्रदूषणकारी उद्योग पर न्यूनतम 50 मीटर चौड़ी हरित पट्टी की व्यवस्था के साथ विचार किया जा सकेगा।

(2) **उत्खनन और खनन:** (क) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर कोई खनन और दलित अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु तापी और नवसारी जिलों में नदी तल में प्रयोजन के लिए अभिभावी विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार, सम्यक् सुरक्षा उपायों के साथ वन और पर्यावरण विभागों के परामर्श से चयनित स्थलों से स्थानीय उपयोग के लिए बालू के उत्खनन के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी और विद्यमान खनन पट्टे, यदि कोई हो, वर्तमान पट्टे की अवधि पूरी होने पर समाप्त की जाएगी और इन खनन पट्टों की अवधि के विस्तार को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

परंतु पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी एफसीए-1980 के अधीन जारी सं.8-104,89-एफसी तारीख 26/07/1990 के अनुसार अनुमोदित स्थलों के नदी तल से स्थानीय उपयोग के लिए बालू और पत्थर संग्रह करने की अनुमति होगी ।

(3) **वृक्ष :**

वन में वृक्षों की गिराना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना या प्रबंध योजना के अनुसार होनी चाहिए और निजी या राजस्व भूमि पर कटाई राज्य विनियमों के अनुसार अनुज्ञात की जा सकेगी ।

(4) **पर्यटन :**

पर्यटन क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जिसमें कि पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास महत्व होगा, उसे राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जाने वाला, जो जोनल मास्टर प्लान का भाग भी होगा ।

(5) **भूजल :**

(क) भूमि के अधिभोगी को, खेती और घरेलू उपभोग के लिए भू-जल को निकालने के लिए अनुज्ञात होगा।

(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए भू-जल निकालने के लिए राज्य भू-जल बोर्ड से पूर्व लिखित अनुज्ञा लेनी होगी जिसके अंतर्गत ऐसी मात्रा भी है जो उसमें से निकाली जा सकेगी ।

- (ग) जल के संदूषण या प्रदूषण को जिसके अंतर्गत कृषि क्रियाकलाप भी हैं, रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे ।
- (6) **प्लास्टिक का उपयोग :**
- कोई व्यक्ति पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में सामान ले जाने वाले थैलों का उपयोग नहीं करेगा और प्लास्टिक की वस्तुओं का निस्तारण का कड़ाई से विनियमित किया जाएगा ।
- (7) **शोर प्रदूषण :**
- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग गुजरात को पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में शोर नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश और विनियम बनाने और जारी करने का प्राधिकार होगा ।
- (8) **बहिस्रावों का निस्तारण :**
- पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय या भूमि में अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव का निस्तारण किए जाने की अनुज्ञा नहीं होगी और अवचारित अपशिष्ट, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुरूप होगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट :**
- (क) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में ठोस अपशिष्ट का व्ययन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908 (अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000 द्वारा अधिसूचित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।
- (ख) (i) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय घटकों में ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;
- (ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री का अधिमानी रूप से कम्पोस्टिंग और वर्मी कल्चर के माध्यम से पुनःचक्रण किया जा सकेगा।
- (iii) अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में व्ययनित किया जा सकेगा; और
- (iv) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या जलाया जाना अनुज्ञा नहीं होगी।

(10) प्राकृतिक झरने :

सभी झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और में संरक्षण तथा सूख चुके झरनों को उनके प्राकृतिक रूप पुनर्जीवित करने की योजना को जोनल महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार इन क्षेत्रों पर या उनके आस-पास क्रियाकलाप को पाबंदी के लिए कड़े मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(11) जागरूकता : राज्य पर्यावरण और वन विभाग पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में आने वाले प्रत्येक गांव में वन्यजीव अभयारण्य के महत्व और उपयोगिता को रेखांकित करते हुए, नियमित रूप से प्रकृति शिक्षा तथा पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाएगा ।

4. मानीटरी समिति -

- (1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के अनुपालन की मानीटरी के लिए वनसडा पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन निगरानी समिति नामक एक समिति का गठन करती हैं;
- (2) उपयुक्त उप पैरा (1) में निर्दिष्ट मानीटरी समिति दस सदस्य से अनाधिक से मिलकर बनेगी जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करेंगे; अर्थात् :-

- (क) कलक्टर, वलसाड - अध्यक्ष;
- (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;
- (ग) पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;
- (घ) प्रादेशिक अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वलसाड - सदस्य;
- (ङ.) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार - सदस्य;
- (च) वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

- (छ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ किया जाएगा - सदस्य
- (ज) उप वन संरक्षक, (राष्ट्रीय उद्यान का भारसाधक) वलसाड - सदस्य सचिव
- (3) मानीटरी समिति की शक्तियों और कृत्य इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बन्धित होंगे।
- (4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनके भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के उपबंधों के अधीन पूर्व अनुमति अपेक्षित है। मानीटरी समिति उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन ऐसे सभी मामलों को पूर्व अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट करेगी।
- (5) मानीटरी समिति संबंधित विभागों या संगमों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को, मुद्दे-दर-मुद्दे आधार पर अपेक्षाओं पर आधारित उनके विचार-विमर्शों पर सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के उल्लंघन के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक अपने क्रियाकलापों की वार्षिक की गई कार्रवाई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।
- (8) पर्यावरण और वन मंत्रालय, समय-समय पर, मानीटरी समिति को ऐसे निदेश देगा, जो वह मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हों।


उपाबंध-1

[पैरा 1(ड) देखें]

वनसडा वन्यजीव अभयारण्य और वनसडा पारिस्थितिकी संवेदनशील ज़ोन का मानचित्र और सीमा के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बिन्दु

वनसडा राष्ट्रीय उद्यान को पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानचित्र

1965 GI/12-2



वनसडा राष्ट्रीय उद्यान सीमा ग्लोबल पाजिसनिंग सिस्टम

क्र.सं.	गांव का नाम	अक्षांश	देशान्तर
1.	खरजाई	20°47'54.504"उ.	73°26'42.182" पू.
2.	केवडी	20°46'49.921"उ.	73°26'18.918" पू.
3.	अम्बाबारी	20°46'5.617" उ.	73°26'38.051" पू.
4.	तड़पडा	20°45'17.141" उ.	73°26'46.594" पू.
5.	खांभल	20°45'32.541" उ.	73°28'16.496" पू.
6.	वघाई	20°45'59.192" उ.	73°29'22.54" पू.
7.	किलड़	20°47'21.778" उ.	73°29'4.644" पू.
8.	सदादेवी	20°48'3.863" उ.	73°28'1.309" पू.

वनसडा पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन सीमा ग्लोबल पाजिसनिंग सिस्टम

क्र.सं.	गांव का नाम	अक्षांश	देशान्तर
1.	खरजाई	20°49'6.321" उ.	73°25' 15.752" पू.
2.	केवडी /अम्बाबारी	20°46'41.459" उ.	73°25' 23.972" पू.
3.	नवताड	20°44'32.581" उ.	73°26' 7.346" पू.
4.	खांभल	20°43'22.768" उ.	73°26' 46.034" पू.
5.	उगा	20°43'24.185" उ.	73°29' 15.416" पू.
6.	अम्बापदा	20°43'53.188" उ.	73°29' 55.364" पू.
7.	वघाई	20°45'45.008" उ.	73°30'12.019" पू.
8.	गीरा (दबडर)	20°48'14.567" उ.	73°31'35.459" पू.
9.	गीरा (दबडर)	20°48'35.55" उ.	73°30'57.882" पू.
10.	हुंगर्दा	20°48'15.464" उ.	73°29'34.149" पू.
11.	वाटी	20°48'51.807" उ.	73°27'56.546" पू.
12.	चूनावाडी	20°49'40.6" उ.	73°26'4.535" पू.

उपाबद्ध 2
(अनुच्छेद 1(ड) देखें)

वनसडा पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के क्षेत्र में आने वाले गांव की सूची

क. तालुका अहवा

दुनगारदा, वघाई, गीरा, अम्बापदा (वघाई), उगा

ख. तालुका वनसडा

तड़पडा, खरजाई, केवडी, नवताड, वाटी, अम्बाबारी, खांभल ।

ग. तालुका वयारा

चूनावाडी

प्रस्तावित गांवों का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	तालुका का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र (हे.)	अभ्युक्तियां
1.	दुनगारदा	अहवा	88.48	जिला डंग
2.	वघाई	अहवा	229.71	जिला डंग
3.	गीरा	अहवा	62.18	जिला डंग
4.	अम्बापदा (वघाई)	अहवा	166.17	जिला डंग
5.	उगा	अहवा	147.03	जिला डंग
6.	तड़पडा	वनसडा	65.48	जिला नवसारी
7.	खरजाई	वनसडा	262.45	जिला नवसारी
8.	केवडी	वनसडा	194.83	जिला नवसारी
9.	नवताड	वनसडा	236.38	जिला नवसारी
10.	वाटी	वनसडा	130.85	जिला नवसारी
11.	अम्बारी	वनसडा	217.69	जिला नवसारी
12.	खांभल	वनसडा	608.64	जिला नवसारी
13.	कलामबा	वनसडा	66.61	जिला नवसारी
14.	सदादेवी	वनसडा	24.16	जिला नवसारी
15.	किलड	वनसडा	387.61	जिला नवसारी
16.	चूनावाडी	व्यारा	522.69	जिला तापी
कुल:			3410.96	

ग्रामों की सूची

अनुसूधियां/कार्यक्रम

जिला : डांग

तालुका

अहवा

द. डांग प्रभाग अहवा

क्र.सं.	गांव का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)			सीमा
			वन क्षेत्र	वनेत्तर क्षेत्र	कुल क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7
1.	दुनगारदा	1	0.30	-	0.30	उ. सर्वे सं. 8 द. सर्वे सं. 50 और ग्राम स्थल पू. सर्वे सं. 5 और 4 प. अंबिका नदी
		2	0.07	-	0.07	उ. सर्वे सं. 4 द. ग्राम स्थल पू. सर्वे सं. 3 प. सर्वे सं. 1
		3	0.08	-	0.08	उ. सर्वे सं. 4 द. ग्राम स्थल पू. सड़क प. सर्वे सं 2
		4	0.76	-	0.76	उ. सर्वे सं. 5 द. सर्वे सं. 2 और 3 पू. सर्वे सं. 5 प. सर्वे सं. 1
		5	0.98	-	0.98	उ. सर्वे सं. 8 और सड़क द. सर्वे सं. 1 और 4 पू. सड़क प. सर्वे सं. 8 और 1
		6	0.08	-	0.08	उ. सर्वे सं. 8 द. सर्वे सं. 7 पू. सर्वे सं. 8 प. सड़क

	7	0.13	-	0.13	उ.सर्व.सं. 8
					द.सड़क
					पू.सड़क
					प.सड़क
	8	5.15		5.15	उ.सर्व.सं.10, 13 और 14
					द.सर्व.सं. 1, 5 और 7
					पू.सड़क
					प.अंबिका नदी
	9	-	0.41	0.41	उ.सर्व.सं. 10
					द.सर्व.सं. 51
					पू.सर्व.सं. 10
					प.सर्व.सं. 10
	10	2.14	-	2.14	उ.वाली की ग्राम सीमा
					द.सर्व.सं. 8
					द.सर्व.सं. 12
					पू.सर्व.सं. 12
					प.सर्व.सं. 10
	12	-	1.66	1.66	उ.सर्व.सं. 11
					द.सर्व.सं. 14
					पू.सर्व.सं. 21
					पश्चिम सर्व.सं. 10
	13	-	1.62	1.62	उ.सर्व.सं. 12
					द.सर्व.सं. 8
					पू.सर्व.सं. 14
					द.सर्व.सं. 10
	14	0.76	-	0.76	उ.सर्व.सं. 12
					द.सर्व.सं. 8
					पू.सड़क
					प.सर्व.सं. 13
	15	-	2.76	2.76	उ.वाली की ग्राम सीमा
					द.सर्व.सं. 17
					पू.सर्व.सं. 13
					प.सड़क
	16	-	3.50	3.50	उ.बोरीगओथा की ग्राम सीमा
					द.सर्व.सं. 52
					पू.बोरीगओथा की ग्राम सीमा
					प.सर्व.सं. 15
	17	-	0.77	0.77	उ.सर्व.सं. 15
					द.सर्व.सं. 18
					पू.सर्व.सं. 16
					प.सर्व.सं. 15
	18	-	2.56	2.56	उ.सर्व.सं. 17
					द.सर्व.सं. 21
					पू.सर्व.सं. 19
					प.सर्व.सं. 10
	19	-	3.21	3.21	उ.सर्व.सं. 52
					द.सर्व.सं. 20
					पू.सर्व.सं. 53
					प.सर्व.सं. 18
	20	1.56	-	1.56	उ.सर्व.सं. 19
					द.सर्व.सं. 21
					पू.सर्व.सं. 21
					प.सर्व.सं. 21

	21	-	7.55	7.55	उ.सर्वे.सं. 18 द.सर्वे.सं. 25 पू.सर्वे.सं. 20 प.सर्वे.सं. 12 और सड़क
	22	-	2.71	2.71	उ.सर्वे.सं. 21 द.सर्वे.सं. 23 पू.सर्वे.सं. 53 प.सर्वे.सं. 21, 24
	23	-	2.22	2.22	उ.सर्वे.सं. 22 द.सर्वे.सं. 29 पू.सर्वे.सं. 53 प.सर्वे.सं. 24 पू.सर्वे.सं. 23 द.सर्वे.सं. 25
	25	-	2.84	2.84	उ.सर्वे.सं. 21 द.सर्वे.सं. 26 पू.सर्वे.सं. 24 प.सर्वे.सं. 14
	26	-	2.70	2.7	उ.सर्वे.सं. 25 द.सर्वे.सं. 27 पू.सर्वे.सं. 29 प.सर्वे.सं. 14
	27	-	1.66	1.66	उ.सर्वे.सं. 26 द.सर्वे.सं. 33 पू.सर्वे.सं. 28 प.सर्वे.सं. 14
	28	-	7.76	7.76	उ.सर्वे.सं. 26, 29 द.सर्वे.सं. 33 पू.सर्वे.सं. 32 प.सर्वे.सं. 27
	29	-	1.40	1.40	उ.सर्वे.सं. 23 द.सर्वे.सं. 28 पू.सर्वे.सं. 30 प.सर्वे.सं. 29
	30	-	2.05	2.05	उ.सर्वे.सं. 30 द.सर्वे.सं. 32 पू.सर्वे.सं. 53 प.सर्वे.सं. 29
	31	-	2.07	2.07	उ.सर्वे.सं. 32 द.सर्वे.सं. 32 पू.सर्वे.सं. 53 प.सर्वे.सं. 32
	32	10.88	-	10.88	उ.सर्वे.सं. 28 और 30 द.सर्वे.सं. 35 और 36 पू.सर्वे.सं. 53 प.सर्वे.सं. 28, 33 और 35
	33	4.28	-	4.28	उ.सर्वे.सं. 28 द.सर्वे.सं. 38 पू.सर्वे.सं. 34 प.सर्वे.सं. 39, 40

	34	-	3.16	3.16	उ.सर्व.सं. 32
					द.सर्व.सं. 37
					पू.सर्व.सं. 35
					प.सर्व.सं. 37
	35	-	2.04	2.04	उ.सर्व.सं. 32
					द.सर्व.सं. 37
					पू.सर्व.सं. 32
					प.सर्व.सं. 34
	36	-	4.38	4.38	उ.सर्व.सं. 32
					द.सर्व.सं. 53
					पू.सर्व.सं. 53
					प.सर्व.सं. 37
	37	-	2.85	2.85	उ.सर्व.सं. 37
					द.सर्व.सं. 53
					पू.सर्व.सं. 30
					प.सर्व.सं. 38
	38	-	2.39	2.39	उ.सर्व.सं. 33
					द.सर्व.सं. 53
					पू.सर्व.सं. 37
					प.सर्व.सं. 41
	39	0.75	-	0.75	उ.सर्व.सं. 44
					द.सर्व.सं. 40
					पू.सर्व.सं. 34
					प.सर्व.सं. 44
	40	-	2.40	2.40	उ.सर्व.सं. 41
					द.सर्व.सं. 53
					पू.सर्व.सं. 38
					प.सर्व.सं. 42
	41	3.09	-	3.09	उ.सर्व.सं. 40 और 44
					द.सर्व.सं. 53
					पू.सर्व.सं. 38
					प.सर्व.सं. 42
	42	-	3.07	3.07	उ.सर्व.सं. 43
					द.सर्व.सं. 53
					पू.सर्व.सं. 41
					प.सर्व.सं. 49
	43	-	1.99	1.99	उ.सर्व.सं. 45
					द.सर्व.सं. 42
					पू.सर्व.सं. 44
					पश्चिम सर्व.सं. 50
	44	-	2.91	2.91	उ.सर्व.सं. 41
					द.सर्व.सं. 41
					पू.सर्व.सं. 39
					प.सर्व.सं. 48
	45	-	3.76	3.76	उ.सर्व.सं. 8
					द.सर्व.सं. 47
					पू.सर्व.सं. 44
					प.सर्व.सं. 46
	46	-	0.58	0.58	उ.सर्व.सं. 7 और सड़क
					द.सर्व.सं. 47

						पू.सर्व.सं. 45
						प.सर्व.सं. 46
		47	-	0.39	0.39	उ.सर्व.सं. 31, 30
						द.सर्व.सं. 48
						पू.सर्व.सं. 46
						प.सड़क और गमताल
		48	-	2.46	2.46	उ.सर्व.सं. 47
						द.सर्व.सं. 43
						पू.सर्व.सं. 44
						प.सर्व.सं. 50
		49	2.25	-	2.25	उ.सर्व.सं. 50
						द.सर्व.सं. 53
						पू.सड़क
						प.अम्बिका नदी
		50	-	2.68	2.68	उ.दुगादरा गमताल
						द.सर्व.सं. 49
						पू.सर्व.सं. 42
		51	-	0.43	0.43	
						द.सर्व.सं. 10
						पू.सर्व.सं. 10
						प.सर्व.सं. 10
		52	-	2.99	2.99	उ.बोरीगओथा की ग्राम सीमा
						द.सर्व.सं. 19
						पू.सर्व.सं. 53
						प.सर्व.सं. 16 - गमताल
		53	168.07	-	168.07	उ.सर्व.सं. 49, 42, 41, 36, 37, 38
						द.वागई की ग्राम सीमा
						पू.गिरा की ग्राम सीमा
						प.केकीपादा की ग्राम सीमा
		कुल	194.65	88.48	283.13	
2	वागई	वागई ग्राम की सभी सर्वे सं. (158/1- पीएफ को छोड़कर)	-	229.71	229.71	उ.गिरा की ग्राम सीमा द.अम्बापदा की ग्राम सीमा पू.डोडीपाड़ा की ग्राम सीमा प.अम्बिका नदी
		158/1	0.23	-	0.23	उ.सर्व.सं. 32 द.सर्व.सं. 45 पू.सर्व.सं. 44 प.सर्व.सं. 46
		कुल	0.23	229.71	229.94	
3	गिरा	गिरा ग्राम की सभी सर्वे सं. (सर्वे सं. 4, 8, 10, 12, 20, 22, 23 को छोड़कर)	-	62.18	62.18	उ.दानदार की ग्राम सीमा द.अम्बिका नदी पू.अम्बिका नदी प.सर्व.सं. 20
		4	1.98	-	1.98	उ.दानदार की ग्राम सीमा द.सर्व.सं. 3 पू.सर्व.सं. 5 प.सर्व.सं. 20

		8	0.06	*	0.06	उ.सर्वे.सं. 6
						द.सर्वे.सं. 9
						पू.अम्बिका नदी
						प.सर्वे.सं. 7
		10	4.25	-	4.25	उ.सर्वे.सं. 21
						द.सर्वे.सं. 11
						पू.अम्बिका नदी
						प.सर्वे.सं. 11
		12	3.56	-	3.56	उ.सर्वे.सं. 11
						द.सर्वे.सं. 13
						पू.अम्बिका नदी
						प.सर्वे.सं. 18
		20	350.46	-	350.46	उ.बोरीगओथा की ग्राम सीमा
						द.वागई की ग्राम सीमा
						पू.अम्बिका नदी
						प.दुंगदा की ग्राम सीमा
		22	18.27	-	18.27	उ.दुंगदा की ग्राम सीमा
						प.सर्वे.सं. 23
		23	25.98	-	35.98	उ.दुंगदा की ग्राम सीमा
						द.वागई की ग्राम सीमा
						पू.सर्वे.सं. 22
						प.अम्बिका नदी
		कुल	404.56	62.18	466.74	
4	अम्बापदा	अम्बापदा				उ.वागई की ग्राम सीमा
	(वागई)	(वागई)ग्राम				द.अम्बिका नदी
		की सभी सर्वे				पू.डोकपताल की ग्राम सीमा
		सं.सर्वे.सं.				प.अम्बिका नदी
		1, 3,				
		12, 14, 20, 21,				
		22, 23, 26, 28,				
		31, 42, 48, 50,				
		53, 55, 61,				
		65, 70, 73 को				
		छोड़कर)				
		6	2.16	-	2.16	उ.अम्बिका नदी
						द.सर्वे.सं. 4
						पू.सर्वे.सं. 8 और 5
						प.अम्बिका नदी
		7	0.09	-	0.09	उ.अम्बिका नदी
						द.सर्वे.सं. 6
						पू.सर्वे.सं. 6
						प.अम्बिका नदी
		9	4.29	-	4.29	उ.अम्बिका नदी
						द.सर्वे.सं. 2 और 10
						पू.सर्वे.सं. 10 और 11
						प.सर्वे.सं. 5 और 8
		12	3.91	-	3.91	उ.सर्वे.सं. 20 और अम्बिका नदी
						द.सर्वे.सं. 10, 15 और 16
						पू.सर्वे.सं. 13 और 20
						प.सर्वे.सं. 11

	14	1.45	-	1.45	उ.सर्वे.सं. 20 द.सर्वे.सं. 15 और 16 पू.सर्वे.सं. 17 प.सर्वे.सं. 15 और 13
	20	167.34	-	167.34	उ.वागई की ग्राम सीमा द.सर्वे.सं. 22 पू.सड़क प.अम्बिका नदी
	21	67.81	-	67.81	उ.वागई की ग्राम सीमा द.डोकपताल की ग्राम सीमा पू.डोडीपाड़ा की ग्राम सीमा प.सड़क
	22	69.81	-	69.81	उ.सर्वे.सं. 20 द.सर्वे.सं. 42,28,27 और 24 पू.डोडीपाड़ा की ग्राम सीमा प.सर्वे.सं. 20,59,66,67
	23	0.13	-	0.13	उ.सर्वे.सं. 22 द.सर्वे.सं. 24 पू.सर्वे.सं. 24 प.सर्वे.सं. 22
	26	1.34	-	1.34	उ.सर्वे.सं. 22 द.सर्वे.सं. 25 और सड़क पू.सर्वे.सं. 24 प.सर्वे.सं. 27
	28	1.16	-	1.16	उ.सर्वे.सं. 22 द.सड़क पू.सर्वे.सं. 27 प.सर्वे.सं. 29
	31	0.35	-	0.35	उ.सर्वे.सं. 32 द.सर्वे.सं. 32 पू.सर्वे.सं. 32 प.सर्वे.सं. 30
	42	27.81	-	27.81	उ.सर्वे.सं. 44,43,38 और 39 द.अम्बिका नदी पू.डोकपताल की ग्राम सीमा प.सर्वे.सं. 52
	48	0.17	-	0.17	उ.सर्वे.सं. 49 द.अम्बिका नदी पू.सर्वे.सं. 47 और 49 प.अम्बिका नदी
	50	1.03	-	1.03	उ.सर्वे.सं. 52 द.सर्वे.सं. 49 और 51 पू.सर्वे.सं. 52 प.अम्बिका नदी
	53	0.21	-	0.21	उ.सर्वे.सं. 56 द.सर्वे.सं. 52 पू.सर्वे.सं. 54 प.अम्बिका नदी
	56	0.39	-	0.39	उ.सर्वे.सं. 57 द.सर्वे.सं. 54

						पू. सर्व. सं. 55
						प.अम्बिका नदी
		61	0.08	-	0.08	उ. सर्व. सं. 62
						द. सड़क
						पू. सर्व. सं. 62
						प. सर्व. सं. 60
		65	0.05	-	0.05	उ. सर्व. सं. 63
						द. सर्व. सं. 67
						पू. सर्व. सं. 66
						प. सर्व. सं. 64
		70	1.18	-	1.18	उ. सर्व. सं. 68
						द.अम्बिका नदी
						पू. सर्व. सं. 68
						प. सर्व. सं. 69 और 71
		73	1.32	-	1.32	उ. ग्राम की ओर और सड़क
						द.अम्बिका नदी
						पू. सर्व. सं. 69 और 72
		कुल	352.08	100.17		
5	उगा	उगा ग्राम की सभी सर्वे सं. (सर्वे सं. 7,9,11,18, 26,30,32,34, 37,39,46,50, 53,64,65,67, 70,75,76, को छोड़कर)	-	147.03	147.03	उ. खम्बाला की ग्राम सीमा और किलाद
						द. वनारचाऊंड की ग्राम सीमा और पिनचाली
						पू. वनारचाऊंड की ग्राम सीमा
						प. खम्बाला की ग्राम सीमा
		9	0.62	-	0.62	उ. सर्व. सं. 10
						द. सर्व. सं. 7
						पू. सर्व. सं. 10
						प. सर्व. सं. 7
		11	7.41	-	7.41	उ. सर्व. सं. 25
						द. सर्व. सं. 6,3
						पू. सर्व. सं. 2,12,20
						प. सर्व. सं. 8,10
		18	08	-	1.08	उ. सर्व. सं. 19
						द. सर्व. सं. 17
						पू. सर्व. सं. 45
						प. सर्व. सं. 19
		26	1.03	-	1.03	उ. सर्व. सं. 27
						द. सर्व. सं. 25
						पू. सर्व. सं. 25
						प. सर्व. सं. 7
		30	0.34	-	0.34	उ. सर्व. सं. 7
						द. सर्व. सं. 31
						पू. सर्व. सं. 7
						प. सर्व. सं. 29
		32	1.95	-	1.95	उ. किलाड की ग्राम सीमा
						द. सर्व. सं. 35
						पू. सर्व. सं. 36
						प. सर्व. सं. 31

	34	1.71	-	1.71	उ.सर्वे.सं. 35 द.सर्वे.सं. 24 पू.सर्वे.सं. 38 प.सर्वे.सं. 25
	37	0.34	-	0.34	उ.सर्वे.सं. 36 द.सर्वे.सं. 38 पू.अम्बिका नदी प.सर्वे.सं. 36
	39	1.07	-	1.07	उ.सर्वे.सं. 38 द.सर्वे.सं. 41 पू.सर्वे.सं. 40 प.सर्वे.सं. 38
	46	0.11	-	0.11	उ.सर्वे.सं. 47 द.सर्वे.सं. 45
	50	0.74	-	0.74	उ.सर्वे.सं. 48 द.सर्वे.सं. 51 पू.सर्वे.सं. 64 प.सर्वे.सं. 49
	53	0.27	-	0.27	उ.सर्वे.सं. 52 द.सर्वे.सं. 54 पू.सर्वे.सं. 54 प.सर्वे.सं. 16
	67	0.20	-	0.20	उ.सर्वे.सं. 66 द.सर्वे.सं. 65 पू.सर्वे.सं. 65 प.सर्वे.सं. 68
	70	0.11	-	0.11	उ.सर्वे.सं. 71 द.सर्वे.सं. 65 पू.सर्वे.सं. 69 प.सर्वे.सं. 65
	75	0.90	-	0.90	उ.सर्वे.सं. 77 द.सर्वे.सं. 71 पू.मार्ग प.सर्वे.सं. 65
	76	0.05	-	0.05	उ.सर्वे.सं. 77 द.सर्वे.सं. 75 पू.मार्ग प.सर्वे.सं. 75
	7	79.02	-	79.02	उ.खम्बला की गांव की सीमा द.मार्ग पू.सर्वे.सं. 25, 26, 6, 8, 9, 10, 5 प.खम्बला की गांव की सीमा
	64	112.39	-	112.39	उ.अम्बिका नदी द.वनारचुंड की गांव की सीमा पू.वनारचुंड की गांव की सीमा प.सर्वे.सं. 49, 50, 54, 55, 58
	65	139.59	-	139.59	उ.सर्वे.सं. 67, 69, 70 द.चिन्चली की गांव की सीमा पू.सर्वे.सं. 64 प.खम्बला की गांव की सीमा
	कुल :-	348.93	147.03	495.96	

जिला : नवसारी		ताल्लुक : वन्सडा				
6	तडपडा	1	-	1.34	1.34	उ मार्ग द सर्वे सं.56 पू सर्वे सं.43 प सर्वे सं.3
		2	-	1.44	1.44	उ सर्वे सं.3 द सर्वे सं.55 पू सर्वे सं.56 प सर्वे सं.5 पू सर्वे सं.1 प सर्वे सं.4
		4	-	0.76	0.76	उ मार्ग द सर्वे सं.2 पू सर्वे सं.3 प सर्वे सं.5
		5	-	1.94	1.94	उ सर्वे सं.4 और मार्ग द सर्वे सं.13 पू सर्वे सं.2 प सर्वे सं.6
		6	-	0.92	0.92	उ मार्ग उ सर्वे सं.9 द सर्वे सं.5 पू सर्वे सं. 8
		7	-	0.66	0.66	प मार्ग उ सर्वे सं.29 द सर्वे सं.8 पू सर्वे सं.29
		8	-	0.36	0.36	प मार्ग उ सर्वे सं.9 द सर्वे सं.5 पू सर्वे सं.7
		9	-	1.17	1.17	प सर्वे सं.8 उ सर्वे सं.10 द सर्वे सं.5 पू सर्वे सं.29
		10	-	1.01	1.01	प सर्वे सं.9 उ सर्वे सं.11 द सर्वे सं.5 पू सर्वे सं.29
		11	-	0.62	0.62	उ सर्वे सं.10 द सर्वे सं.13 पू सर्वे सं.13 प सर्वे सं. 27
		12	-	0.02	0.02	उ सर्वे सं.13 द सर्वे सं.13 पू सर्वे सं.13 प सर्वे सं.11
		13	-	1.85	1.85	उ सर्वे सं.5 द सर्वे सं.16 पू सर्वे सं.54 प सर्वे सं.11
		14	-	1.44	1.44	उ सर्वे सं.13 द सर्वे सं.15 पू सर्वे सं.16

						प सर्वे सं.33
		29	-	3.68	3.68	उ नदी
						द सर्वे सं.28
						पू सर्वे सं.9
						प सर्वे सं.33
		30	-	0.27	0.27	उ सर्वे सं.29
						द सर्वे सं.33
						पू सर्वे सं.29
						प सर्वे सं.31
		31	-	0.35	0.35	उ सर्वे सं.29
						द सर्वे सं.33
						पू सर्वे सं.30
						प सर्वे सं.32
		32	-	1.13	1.13	उ सर्वे सं.92
						द सर्वे सं.37
						पू सर्वे सं.31
						प सर्वे सं.93
		33	-	1.81	1.81	उ सर्वे सं.30,31
						द सर्वे सं.34
						पू सर्वे सं.29
						प सर्वे सं.37
		34	-	0.92	0.92	उ सर्वे सं.33
						द सर्वे सं.25
						पू सर्वे सं.25
						प सर्वे सं.35
		35	-	2.04	2.04	उ सर्वे सं.37
						द सर्वे सं.22
						पू सर्वे सं.34
						प नदी
		36	-	0.24	0.24	उ सर्वे सं.37
						द सर्वे सं.33
						पू सर्वे सं.33
						प सर्वे सं.38
		37	-	1.25	1.25	उ सर्वे सं.32
						द सर्वे सं.36
						पू सर्वे सं.33
						प सर्वे सं.38
		38	-	1.00	1.00	उ सर्वे सं.39
						द सर्वे सं.35
						पू सर्वे सं.37
						प नदी
		39	4.10	-	4.10	उ मार्ग
						द सर्वे सं.38
						पू सर्वे सं.93
						प आंबिका नदी
		40	-	1.34	1.34	उ मार्ग
						द नदी
						पू सर्वे सं.39
						प सर्वे सं.41
		41	-	1.55	1.55	उ नदी

					द सर्वे सं. 49
					पू सर्वे सं. 47
					प सर्वे सं. 54
	56	-	1.15	1.15	उ सर्वे सं. 1
					द सर्वे सं. 47
					पू सर्वे सं. 43
					प सर्वे सं. 2
	57	61.00	-	61.00	उ सर्वे सं. 48
					द खम्बला गांव की सीमा
					पू सर्वे सं. 58
					प सर्वे सं. 50
	58	0.24	-	0.24	उ सर्वे सं. 48
					द खम्बला गांव की सीमा
					पू सर्वे सं. 59
					प सर्वे सं. 57
	59	0.58	-	0.58	उ सर्वे सं. 48 और 60
					द खम्बला गांव की सीमा
					पू खम्बला गांव की सीमा
					प सर्वे सं. 58
	60	2.02		2.02	उ सर्वे सं. 63
					द सर्वे सं. 59
					पू खम्बला गांव की सीमा
					प सर्वे सं. 48 और 61
	61	1.02	-	1.02	उ सर्वे सं. 62
					द सर्वे सं. 48
					पू सर्वे सं. 60 और 63
					प सर्वे सं. 47
	62	1.48	-	1.48	उ सर्वे सं. 64
					द सर्वे सं. 51
					पू सर्वे सं. 63
					प सर्वे सं. 45 और 47
	63	1.60	-	1.60	उ सर्वे सं. 65 और 66
					द सर्वे सं. 80
					पू खम्बला गांव की सीमा
					प सर्वे सं. 62 और 64
	64	1.23	-	1.23	उ सर्वे सं. 44
					द सर्वे सं. 62
					पू सर्वे सं. 61 और 65
					प सर्वे सं. 43 और 44
	65	1.03	-	1.03	उ सर्वे सं. 45
					द सर्वे सं. 63
					पू सर्वे सं. 66
					प सर्वे सं. 64
	66	3.42		3.42	उ मार्ग
					द सर्वे सं. 63
					पू खम्बला गांव की सीमा
					प सर्वे सं. 45, 63 और 65
	67	1.50		1.50	उ सर्वे सं. 42
					द मार्ग
					पू खम्बला गांव की सीमा

						प सर्वे सं. 68 और 72
		68	1.51	-	1.51	उ सर्वे सं. 42
						द सर्वे सं. 72 और 67
						पू सर्वे सं. 42 और 67
						प सर्वे सं. 69
		69	0.91	-	0.91	उ सर्वे सं. 42
						द सर्वे सं. 71
						पू सर्वे सं. 68 और 72
						प सर्वे सं. 71
		70	0.01	-	0.01	उ सर्वे सं. 71
						द सर्वे सं. 71
						पू सर्वे सं. 71
						प सर्वे सं. 71
		71	4.89	-	4.89	उ सर्वे सं. 42
						द सर्वे सं. 70
						पू सर्वे सं. 69
						प सर्वे सं. 42
		72	1.01	-	1.01	उ सर्वे सं. 68
						द मार्ग
						पू सर्वे सं. 67
						प सर्वे सं. 73 और 71
		73	0.49	-	0.49	उ सर्वे सं. 71
						द मार्ग
						पू सर्वे सं. 72 और 67
						प सर्वे सं. 74
		74	0.28	-	0.28	उ सर्वे सं. 71
						द मार्ग
						पू सर्वे सं. 73
						प सर्वे सं. 75
		75	5.05	-	5.05	उ सर्वे सं. 42, 77 और 76
						द मार्ग
						पू सर्वे सं. 74
						प सर्वे सं. 78
		76	1.12	-	1.12	उ सर्वे सं. 42
						द सर्वे सं. 75
						पू सर्वे सं. 71
						प सर्वे सं. 77
		77	1.34	-	1.34	उ सर्वे सं. 42
						द सर्वे सं. 75
						पू सर्वे सं. 76
						प सर्वे सं. 42 और 75
		78	0.63	-	0.63	उ सर्वे सं. 81
						द सर्वे सं. 79
						पू सर्वे सं. 75
						प सर्वे सं. 80
		79	0.47	-	0.47	उ सर्वे सं. 78 और 80
						द मार्ग
						पू सर्वे सं. 75
						प सर्वे सं. 90
		80	6.80	-	6.80	उ सर्वे सं. 42
						द मार्ग

						प सर्वे सं. 78 और 79
						प सर्वे सं. 42
	81	0.71	-	0.71		उ सर्वे सं. 85
						द सर्वे सं. 78 और 75
						पू सर्वे सं. 75
						प सर्वे सं. 42
	82	0.50	-	0.50		उ सर्वे सं. 83
						द सर्वे सं. 81
						पू सर्वे सं. 85
						प सर्वे सं. 42
	83	0.40	-	0.40		उ सर्वे सं. 42
						द सर्वे सं. 82
						पू सर्वे सं. 84
						प सर्वे सं. 42
	84	0.97	-	0.97		उ सर्वे सं. 42
						द सर्वे सं. 85
						पू सर्वे सं. 87
						प सर्वे सं. 83 और 42
	85	1.85	-	1.85		उ सर्वे सं. 84
						द सर्वे सं. 81
						पू सर्वे सं. 86
						प सर्वे सं. 82
	86	0.73	-	0.73		उ सर्वे सं. 87
						द सर्वे सं.
						पू सर्वे सं. 42
						प सर्वे सं. 85
	87	1.00	-	1.00		उ सर्वे सं. 42
						द सर्वे सं. 86
						पू सर्वे सं. 88
						प सर्वे सं. 84
	88	0.86	-	0.86		उ सर्वे सं. 42
						द सर्वे सं. 90
						पू सर्वे सं. 89
						प सर्वे सं. 87
	89	0.77	-	0.77		उ सर्वे सं. 42
						द सर्वे सं. 90
						पू सर्वे सं. 42
						प सर्वे सं. 88
	90	1.64	-	1.64		उ सर्वे सं. 89
						द सर्वे सं. 42
						पू सर्वे सं. 42
						प सर्वे सं. 86
	91	0.05	-	0.05		उ सर्वे सं. 42
						द सर्वे सं. 42
						पू सर्वे सं. 42
						प सर्वे सं. 90
	92	0.31	-	0.31		उ मार्ग
						द सर्वे सं. 93
						पू सर्वे सं. 29
						प सर्वे सं. 39
	93	1.26	-	1.26		उ सर्वे सं. 92

						द. सर्व.सं. 1.39
						पू. सर्व.सं. 32
						प. सर्व.सं. 39
		कुल :-	279.47	85.48	344.95	
7	खरजाई	सभी सर्व. सं.	-	262.45	262.45	प. आंबिका नदी और चुनावदी की ग्राम सीमा उ. केवदी की ग्राम सीमा द. कलम्बा की ग्राम सीमा पू. सारा की ग्राम सीमा
		कुल :-	0.00	262.45	262.45	
8	केवदी	सभी सर्व. सं.	-	194.83	194.83	प. खरजाई की ग्राम सीमा उ. अवाहरी की ग्राम सीमा द. कलम्बा की ग्राम सीमा पू. सारा की ग्राम सीमा
		कुल :-	0.00	194.83	194.83	
9	नकल	सभी सर्व. सं.	-	236.38	236.38	प. अम्दाहरी की ग्राम सीमा उ. कल्पद्वज की ग्राम सीमा द. अम्दाहरी और खम्भला की ग्राम सीमा पू. महुवाल और धतमल की ग्राम सीमा
		कुल :-	0.00	236.38	236.38	
10	वाली	ग्राम वाली की सभी सर्व.सं. (सर्व. सं. 8 से 14, 62 से 70, 73 से 75 और 93, 106 से 15-आरएफ को छोड़कर)	-	130.85	130.85	उ. खापरी नदी की कावकावादी गांव की ग्राम सीमा चुनावदी, दुंगरा और रायगढ टा-व्यारा द. इमारा की पू. जांरिया और जोगियावादा ता-दंग की ग्राम सीमा प. खापरी नदी और चुनावदी की ग्राम सीमा
		8	0.10	-	0.10	उ. सर्व.सं. 115 द. सर्व.सं. 115 पू. सर्व.सं. 115 प. सर्व.सं. 115
		9	1.23	-	1.23	उ. सर्व.सं. 10 द. सर्व.सं. 115 पू. सर्व.सं. 115 प. सर्व.सं. 115
		10	3.31	-	3.31	उ. सर्व.सं. 13 और 12 द. सर्व.सं. 9 पू. रोड प. सर्व.सं. 115
		11	0.26	-	0.26	उ. सर्व.सं. 115 द. सर्व.सं. रोड पू. जांरिया की ग्राम सीमा प. सर्व.सं. 12
		12	3.22	-	3.22	द. सर्व.सं. 115 प. सर्व.सं. 115 पू. सर्व.सं. 11
		13	4.06	-	4.06	उ. सर्व.सं. 13 उ. सर्व.सं. 115 द. सर्व.सं. 10, 115 पू. सर्व.सं. 12 प. सर्व.सं. 14
		14	3.35	-	3.35	उ. सर्व.सं. 115 द. सर्व.सं. 115

						पू. सर्व. सं. 13
						प. सर्व. सं. 115
	62	3.28	-	3.28		उ. सर्व. सं. 115
						द. सर्व. सं. 63, 115
						पू. सर्व. सं. 115
						प. सर्व. सं. 115
	63	2.14	-	2.14		उ. सर्व. सं. 62
						द. सर्व. सं. 115
						उ. सर्व. सं. 115
						प. सर्व. सं. 64 और 65
	64	0.26	-	0.26		उ. सर्व. सं. 65
						द. सर्व. सं. 115
						पू. सर्व. सं. 63
						प. सर्व. सं. 66 और 67
	65	0.38	-	0.38		उ. सर्व. सं. 115
						द. सर्व. सं. 64
						पू. सर्व. सं. 63
						प. सर्व. सं. 66 और 67
	66	0.32	-	0.32		उ. सर्व. सं. 115
						द. सर्व. सं. 67
						पू. सर्व. सं. 65
						ष. सर्व. सं. 67
	67	3.25	-	3.25		उ. सर्व. सं. 66 और 64
						द. सर्व. सं. 115
						पू. सर्व. सं. 115
						प. सर्व. सं. 68
	68	1.28	-	1.28		उ. सर्व. सं. 115
						द. सर्व. सं. 115
						पू. सर्व. सं. 67
						प. सर्व. सं. 115
	69	1.01	-	1.01		उ. सर्व. सं. 115
						द. सर्व. सं. 70
						पू. सर्व. सं. 115
						प. सर्व. सं. 115
	70	1.21	-	1.21		उ. सर्व. सं. 115
						द. सर्व. सं. 115
						पू. सर्व. सं. 69
						प. सर्व. सं. 115
						प. सर्व. सं. 115
	74	1.20	-	1.20		उ. सर्व. सं. 115
						द. सर्व. सं. 75
						पू. सर्व. सं. 115
						प. सर्व. सं. 115
	75	2.22	-	2.22		उ. सर्व. सं. 74
						द. सर्व. सं. 115
						पू. सर्व. सं. 115
						प. सर्व. सं. 115
	93	1.22	-	1.22		उ. सर्व. सं. 115

						पू. सर्व.सं. 112
						प. सर्व.सं. 3
	3	-	0.03	0.03		उ. सर्व.सं. 4
						द. सर्व.सं. 9
						पू. सर्व.सं. 2
						प. सर्व.सं. 5
	4	-	0.02	0.02		उ. सर्व.सं. 93
						द. सर्व.सं. 3
						पू. सर्व.सं. 2
						प. सर्व.सं. 5
	5	-	0.03	0.03		उ. सर्व.सं. 92
						द. सर्व.सं. 6
						पू. सर्व.सं. 4
						प. सर्व.सं. 8
	6	-	0.03	0.03		उ. सर्व.सं. 5
						द. सर्व.सं. 9
						पू. सर्व.सं. 3
						प. सर्व.सं. 7
	7	-	0.02	0.02		उ. सर्व.सं. 5
						द. सर्व.सं. 9
						पू. सर्व.सं. 9
						प. सर्व.सं. 9
	8	-	0.02	0.02		उ. सर्व.सं. 92
						द. सर्व.सं. 9
						पू. सर्व.सं. 92
						प. सर्व.सं. 46
	9	-	0.02	0.02		उ. सर्व.सं. 6
						द. सर्व.सं. 132
						पू. सर्व.सं. 1
						प. सर्व.सं. 10
	10	-	0.49	0.49		उ. सर्व.सं. 9
						द. सर्व.सं. 11
						पू. सर्व.सं. 9
						प. सर्व.सं. 11
	11	-	4.43	4.43		उ. सर्व.सं. 9
						द. सर्व.सं. 12
						पू. सर्व.सं. 10
						प. सर्व.सं. 13
	12	-	1.82	1.82		उ. सर्व.सं. 13
						द. सर्व.सं. 131
						पू. सर्व.सं. 132
						प. सर्व.सं. 15
	13	-	1.52	1.52		उ. सर्व.सं. 46
						द. सर्व.सं. 14
						पू. सर्व.सं. 11
						प. सर्व.सं. 46
	14	-	0.95	0.95		उ. सर्व.सं. 13
						द. रोड
						पू. सर्व.सं. 11
						प. सर्व.सं. 46
	15	-	1.64	1.64		उ. रोड

						पू. सर्वे.सं. 26
						प. सर्वे.सं. 29
	29	-	1.57	1.57		उ. सर्वे.सं. 36
						द. नवताद की ग्राम सीमा
						पू. सर्वे.सं. 28
						प. सर्वे.सं. 30
	30	-	1.24	1.24		उ. सर्वे.सं. 35
						द. नवताद की ग्राम सीमा
						पू. सर्वे.सं. 29
						प. सर्वे.सं. 32
	31	-	0.92	0.92		उ. सर्वे.सं. 32
						द. नवताद की ग्राम सीमा
						पू. सर्वे.सं. 30
						प. नवताद की ग्राम सीमा
	32	-	1.11	1.11		उ. सर्वे.सं. 35
						द. सर्वे.सं. 31
						पू. सर्वे.सं. 30
						प. सर्वे.सं. 33
	33	-	0.04	0.40		उ. सर्वे.सं. 34
						द. सर्वे.सं. 31
						पू. सर्वे.सं. 32
						प. सर्वे.सं. माहुबास की ग्राम सीमा
	34	-	0.80	0.80		उ. रोड
						द. सर्वे.सं. 32
						पू. सर्वे.सं. 35
						प. सर्वे.सं. 33
	35	-	1.42	1.42		उ. रोड
						द. सर्वे.सं. 32
						पू. सर्वे.सं. 37
						प. सर्वे.सं. 34
	36	-	0.41	0.41		उ. सर्वे.सं. 37
						द. सर्वे.सं. 29
						पू. सर्वे.सं. 25
						प. सर्वे.सं. 35
	37	-	0.98	0.98		उ. रोड
						द. सर्वे.सं. 36
						पू. सर्वे.सं. 24
						प. सर्वे.सं. 35
	38	-	2.18	2.18		उ. सर्वे.सं. 54
						द. रोड
						पू. सर्वे.सं. 39
						प. माहुबास की ग्राम सीमा
	39	-	1.16	1.16		उ. सर्वे.सं. 54
						द. रोड
						पू. सर्वे.सं. 41
						प. सर्वे.सं. 38
	40	-	1.22	1.22		उ. सर्वे.सं. 54
						द. सर्वे.सं. 42
						पू. सर्वे.सं. 42

						पू. सर्वे.सं. 42
						प. सर्वे.सं. 54
	54	21.82		21.82		उ. सर्वे.सं. 58,55,74,75,,80,81
						द. सर्वे.सं. 38,39,40,50,51,52
						पू. सर्वे.सं. 80
						प. सर्वे.सं. माहुवास की ग्राम सीमा
	55		2.34	2.34		उ. सर्वे.सं. 54
						द. सर्वे.सं. 54
						पू. सर्वे.सं. 54
						प. सर्वे.सं. 56
	56		1.13	1.13		उ. सर्वे.सं. 61
						द. सर्वे.सं. 54
						पू. सर्वे.सं. 55
						प. सर्वे.सं. 57
	57	-	1.28	1.28		उ. सर्वे.सं. 60
						द. सर्वे.सं. 54
						पू. सर्वे.सं. 56
						प. सर्वे.सं. 58
	58	-	1.17	1.17		उ. सर्वे.सं. 59
						द. सर्वे.सं. 54
						पू. सर्वे.सं. 57
						प. माहुवास की ग्राम सीमा
	59	-	1.15	1.15		उ. सर्वे.सं. 66
						द. सर्वे.सं. 58
						पू. सर्वे.सं. 60
						प. सर्वे.सं. 71
	60	-	0.93	0.93		उ. सर्वे.सं. 65
						द. सर्वे.सं. 57
						पू. सर्वे.सं. 61
						प. सर्वे.सं. 59
	61	-	2.55	2.55		उ. सर्वे.सं. 63
						द. सर्वे.सं. 55
						पू. सर्वे.सं. 74
						प. सर्वे.सं. 60
	62	-	0.25	0.25		उ. सर्वे.सं. 63
						द. सर्वे.सं. 61
						पू. सर्वे.सं. 71
						प. सर्वे.सं. 63
	63	-	1.86	1.86		उ. सर्वे.सं. 74
						द. सर्वे.सं. 62
						पू. सर्वे.सं. 74
						प. सर्वे.सं. 64
	64	-	1.39	1.39		उ. सर्वे.सं. 72
						द. सर्वे.सं. 61
						पू. सर्वे.सं. 63
						प. सर्वे.सं. 65
	65	-	1.64	1.64		उ. सर्वे.सं. 68
						द. सर्वे.सं. 60
						पू. सर्वे.सं. 64
						प. सर्वे.सं. 66
	66	-	1.46	1.46		उ. सर्वे.सं. 67

						द. सर्व. सं. 59
						पू. सर्व. सं. 65
						प. सर्व. सं. 71
	67	-	1.10	1.10		उ. सर्व. सं. 69
						द. सर्व. सं. 66
						पू. सर्व. सं. 68
						प. सर्व. सं. 71
	68	-	0.97	0.97		उ. सर्व. सं. 72
						द. सर्व. सं. 65
						पू. सर्व. सं. 72
						प. सर्व. सं. 67
	69	-	1.27	1.27		उ. सर्व. सं. 70
						द. सर्व. सं. 67
						पू. सर्व. सं. 72
						प. सर्व. सं. 71
	70	-	1.10	1.10		उ. सर्व. सं. 71
						द. सर्व. सं. 69
						पू. सर्व. सं. 72
						प. सर्व. सं. 71
	71	9.47	-	9.47		उ. सर्व. सं. 86
						द. सर्व. सं. 70 & 72
						पू. सर्व. सं. 73
						प. सर्व. सं. महुआवास की ग्राम सीमा
	72	-	7.39	7.39		उ. सर्व. सं. 71
						द. सर्व. सं. 64
						पू. सर्व. सं. 74
						प. सर्व. सं. 68
	73	-	5.90	5.90		उ. सर्व. सं. 88
						द. सर्व. सं. 74
						पू. सर्व. सं. 88
						प. सर्व. सं. 71
	74	-	6.95	6.95		उ. सर्व. सं. 73
						द. सर्व. सं. 54
						पू. सर्व. सं. 75
						प. सर्व. सं. 72
	75	-	2.97	2.97		उ. सर्व. सं. 76
						द. सर्व. सं. 54
						पू. सर्व. सं. 80
						प. सर्व. सं. 74
	76	-	1.61	1.61		उ. सर्व. सं. 88
						द. सर्व. सं. 75
						पू. सर्व. सं. 77
						प. सर्व. सं. 73
	77	-	1.05	1.05		उ. सर्व. सं. 88
						द. सर्व. सं. 78
						पू. सर्व. सं. 79
						प. सर्व. सं. 75
	78	-	0.81	0.81		उ. सर्व. सं. 77
						द. सर्व. सं. 80
						पू. सर्व. सं. 79
						प. सर्व. सं. 75

						द. सर्वे.सं. 80
						पू. सर्वे.सं. 81
						प. सर्वे.सं. 78
		80	-	1.51	1.51	उ. सर्वे.सं. 79
						द. सर्वे.सं. 54
						पू. सर्वे.सं. 54
						प. सर्वे.सं. 75
		81	-	1.58	1.58	उ. सर्वे.सं. 83
						द. सर्वे.सं. 54
						पू. सर्वे.सं. 83
						प. सर्वे.सं. 70
		82	-	1.10	1.1	उ. सर्वे.सं. 83
						द. सर्वे.सं. 90
						पू. सर्वे.सं. 90
						प. सर्वे.सं. 54
		83	-	2.05	2.05	उ. सर्वे.सं. 84
						द. सर्वे.सं. 82
						पू. सर्वे.सं. 85
						प. सर्वे.सं. 81
		84	-	2.57	2.57	उ. सर्वे.सं. 88
						द. सर्वे.सं. 83
						पू. सर्वे.सं. 87
						प. सर्वे.सं. 79
		85	-	0.86	0.86	उ. सर्वे.सं. 86
						द. सर्वे.सं. 89
						पू. सर्वे.सं. 86
						प. सर्वे.सं. 83
		86	-	0.95	0.95	उ. सर्वे.सं. 87
						द. सर्वे.सं. 85
						पू. सर्वे.सं. 96
						प. सर्वे.सं. 84
		87	-	1.74	1.74	उ. सर्वे.सं. 88
						द. सर्वे.सं. 86
						पू. सर्वे.सं. 96
						प. सर्वे.सं. 843
		88	68.49	-	68.49	उ. केवट्टी की ग्राम सीमा
						द. सर्वे.सं.
						पू. सर्वे.सं. 126
						प. सर्वे.सं. 73
		89	-	1.45	1.45	उ. सर्वे.सं. 85
						द. सर्वे.सं. 94
						पू. सर्वे.सं. 95
						प. सर्वे.सं. 90
		90	-	3.26	3.26	उ. सर्वे.सं. 83
						द. सर्वे.सं. 92
						पू. सर्वे.सं. 94
						प. सर्वे.सं. 54
		91	-	0.42	0.42	उ. सर्वे.सं. 90
						द. सर्वे.सं. 92
						पू. सर्वे.सं. 92

						प. सर्व.सं. 49
		92	-	4.17	4.17	उ. सर्व.सं. 90
						द. सर्व.सं. 8
						पू. सर्व.सं. 93
						प. सर्व.सं. 48
		93	-	7.60	7.60	उ. सर्व.सं. 95
						द. सर्व.सं. 2
						पू. सर्व.सं. 112
						प. सर्व.सं. 92
		94	-	3.21	3.21	उ. सर्व.सं. 89
						द. सर्व.सं. 93
						पू. सर्व.सं. 93
						प. सर्व.सं. 90
		95	-	2.20	2.20	उ. सर्व.सं. 96
						द. सर्व.सं. 93
						पू. सर्व.सं. 96
						प. सर्व.सं. 89
		96	12.83	-	12.83	उ. सर्व.सं. 126 & 88
						द. सर्व.सं. 95
						पू. सर्व.सं. 126
						प. सर्व.सं. 88 & कावेरी नदी
		97	-	0.58	0.58	उ. सर्व.सं. 96
						द. सर्व.सं. 93
						पू. सर्व.सं. 98
						प. सर्व.सं. 95
		98	-	0.86	0.86	उ. सर्व.सं. 100
						द. सर्व.सं. 112
						पू. सर्व.सं. 99
						प. सर्व.सं. 93
		99	-	1.00	1.00	उ. सर्व.सं. 100
						द. सर्व.सं. 112
						पू. सर्व.सं. 107
						प. सर्व.सं. 98
		100	-	1.32	1.32	उ. सर्व.सं. 101
						द. सर्व.सं. 99
						पू. सर्व.सं. 102
						प. सर्व.सं. 126
		101	-	1.04	1.04	उ. सर्व.सं. 126
						द. सर्व.सं. 100
						पू. सर्व.सं. 102
						प. सर्व.सं. 126
		102	-	3.04	3.04	उ. सर्व.सं. 126
						द. सर्व.सं. 106
						पू. सर्व.सं. 103
						प. सर्व.सं. 101
		103	-	2.04	2.04	उ. सर्व.सं. 126
						द. सर्व.सं. 105
						पू. सर्व.सं. 126
						प. सर्व.सं. 102
		104	-	1.26	1.26	उ. सर्व.सं. 103
						द. सर्व.सं. 105

						पू. सर्वे.सं. 126
						प. सर्वे.सं. 105
	105	-	0.86	0.86		उ. सर्वे.सं. 103
						द. सर्वे.सं. 108
						पू. सर्वे.सं. 104
						प. सर्वे.सं. 106
	106	-	1.11	1.11		उ. सर्वे.सं. 102
						द. सर्वे.सं. 107
						पू. सर्वे.सं. 105
						प. सर्वे.सं. 100
	107	-	1.18	1.18		उ. सर्वे.सं. 106
						द. सर्वे.सं. 110
						पू. सर्वे.सं. 108
						प. सर्वे.सं. 99
	108	-	1.06	1.06		उ. सर्वे.सं. 104
						द. सर्वे.सं. 109
						पू. सर्वे.सं. 126
						प. सर्वे.सं. 107
	109	-	1.74	1.74		उ. सर्वे.सं. 108
						द. सर्वे.सं. 126
						पू. सर्वे.सं. 126
						प. सर्वे.सं. 107
	110	-	1.67	1.67		उ. सर्वे.सं. 107
						द. सर्वे.सं. 11
						पू. सर्वे.सं. 109
						प. सर्वे.सं. 112
	111	-	0.72	0.72		उ. सर्वे.सं. 110
						द. सर्वे.सं. 126
						पू. सर्वे.सं. 120
						प. सर्वे.सं. 112
	112	-	11.80	11.80		उ. सर्वे.सं. 99
						द. सर्वे.सं. 113
						पू. सर्वे.सं. 126
						प. सर्वे.सं. 93
	113	-	0.73	0.73		उ. सर्वे.सं. 112
						द. सर्वे.सं. 126
						पू. सर्वे.सं. 112
						प. सर्वे.सं. 114
	114	-	2.04	2.04		उ. सर्वे.सं. 112
						द. सर्वे.सं. 121
						पू. सर्वे.सं. 126
						प. सर्वे.सं. 119
	115	-	0.80	0.80		उ. सर्वे.सं. 112
						द. सर्वे.सं. 118
						पू. सर्वे.सं. 114
						प. सर्वे.सं. 116
	116	-	0.76	0.76		उ. सर्वे.सं. 2
						द. सर्वे.सं. 118
						पू. सर्वे.सं. 115
						प. सर्वे.सं. 1
	117	-	0.76	0.76		उ. सर्वे.सं. 116

						द. सर्व.सं. 122
						पू. सर्व.सं. 118
						प. सर्व.सं. 1
	118	-	1.10	1.10		उ. सर्व.सं. 118
						द. सर्व.सं. 121
						पू. सर्व.सं. 120
						प. सर्व.सं. 117
	119	-	0.28	0.28		उ. सर्व.सं. 114
						द. सर्व.सं. 120
						पू. सर्व.सं. 114
						प. सर्व.सं. 118
	120	-	0.39	0.39		उ. सर्व.सं. 119
						द. सर्व.सं. 121
						पू. सर्व.सं. 114
						प. सर्व.सं. 118
	121	-	1.14	1.14		उ. सर्व.सं. 120
						द. सर्व.सं. 126
						पू. सर्व.सं. 126
						प. सर्व.सं. 122
	122	-	0.87	0.87		उ. सर्व.सं. 117
						द. सर्व.सं. 123
						पू. सर्व.सं. 121
						प. सर्व.सं. 19
	123	-	1.22	1.22		उ. सर्व.सं. 122
						द. सर्व.सं. 125
						पू. सर्व.सं. 126
						प. सर्व.सं. 131
	124	-	0.80	0.80		उ. सर्व.सं. 123
						द. सर्व.सं. 131
						पू. सर्व.सं. 125
						प. सर्व.सं. 131
	125	-	0.97	0.97		उ. सर्व.सं. 123
						द. सर्व.सं. 131
						पू. सर्व.सं. 126
						प. सर्व.सं. 124
	126	395.27	-	395.27		उ. केवदी की ग्राम सीमा
						द. टहपाडा की ग्राम सीमा
						पू. सहादेवी की ग्राम सीमा
						प. सर्व.सं. 131,121,114,112,109,102,88
	127	3.26	-	3.26		उ. सर्व.सं. 126
						द. नदी
						पू. टहपाडा की ग्राम सीमा
						प. रोड
	128	-	1.39	1.39		उ. सर्व.सं. 131
						द. सर्व.सं. 131
						पू. सर्व.सं. 126
						प. सर्व.सं. 131
	129	-	1.51	1.51		उ. सर्व.सं. 131
						द. सर्व.सं. 131
						पू. सर्व.सं. 131
						प. सर्व.सं. 130

		130	-	0.63	0.63	उ. सर्व.सं. 131 द. सर्व.सं. 131 पू. सर्व.सं. 129 प. रोड
		131	-	17.15	17.15	उ.सर्व.सं.132 द. सर्व.सं. 128 पू. सर्व.सं. 128 प. सर्व.सं. 130
		132	-	0.69	0.69	उ. सर्व.सं. 9 द. सर्व.सं. 131 पू. सर्व.सं. 19 प. सर्व.सं. 12
		योग:-	511.14	217.69	728.63	
12	खम्मला	ग्राम खम्मला की सभी सर्व.सं. (सर्व.सं. 390,392,564, 565, 567,568, 569,569,570,571, 743,748,749,750, 751,758,759, 760,761,762, 763,79,742/2 को छोड़कर)				उ. टहपाहा की ग्राम सीमा द. अंबापनी एवं बिलमोज की ग्राम सीमा पू. अगा (चिचपाहा) जिला डंग की ग्राम सीमा प. केम्पडवंज & नवदंड की ग्राम सीमा
		390पीटी	408.15	-	408.15	उ.टहपाहा एवं बगाई की ग्राम सीमा द. बिलमोडा की ग्राम सीमा पू. डंग की ग्राम सीमा प. सर्व.सं. 326,751,428,762 & खादी
		392	0.41	-	0.41	उ. सर्व.सं. 749 द. सर्व.सं. 390 पू. सर्व.सं. 390 प. सर्व.सं. 390
		564	0.32	-	0.32	उ. सर्व.सं. 565 द. सर्व.सं. 390 पू. सर्व.सं. 563 प. सर्व.सं. 390
		565	0.53	-	0.53	उ. सर्व.सं. 390 द. सर्व.सं. 564 पू. सर्व.सं. 563 प. सर्व.सं. 390
		567	0.98	-	0.98	उ. सर्व.सं. 390 द. सर्व.सं. 568

						प. सर्व.सं. 390
	568	0.57	-	0.57		उ. सर्व.सं. 567
						द. सर्व.सं. 571
						पू. सर्व.सं. 569
						प. सर्व.सं. 390
	569	0.88	-	0.88		उ. सर्व.सं. 570
						द. सर्व.सं. 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 356
	570	1.05	-	1.05		उ. सर्व.सं. 568
						द. सर्व.सं. 572
						पू. सर्व.सं. 570
						प. सर्व.सं. 390
	571	0.61	-	0.61		उ. रोड
						द. सर्व.सं. 390 & 577
						पू. सर्व.सं. 390
						प. रोड
	589	1.35	-	1.35		उ. रोड
						द. सर्व.सं. 689 & 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. रोड
	739	1.30	-	1.30		उ. सर्व.सं. 390
						द. सर्व.सं. 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 390
	590	0.57	-	0.57		उ. रोड
						द. सर्व.सं. 589, 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. रोड
	742/1	0.31	0.31			उ. सर्व.सं. 742/2
						द. सर्व.सं. 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 390
	743	0.85	-	0.85		उ. सर्व.सं. 390
						द. सर्व.सं. 390
						पू. इंगळी सीमा
						प. सर्व.सं. 741
	748	1.12	-	1.12		उ. सर्व.सं. 390
						द. सर्व.सं. 390
						पू. सर्व.सं. 749
						प. सर्व.सं. 749
	749	1.22	-	1.22		उ. सर्व.सं. 756
						द. सर्व.सं. 392
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 318
	750	1.08	-	1.08		उ. सर्व.सं. 390
						द. सर्व.सं. 749
						पू. सर्व.सं. 749
						प. सर्व.सं. 749
	751	1.30	-	1.30		उ. सर्व.सं. 390

						द. सर्व.सं. 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 390
		758	1.20	-	1.20	उ. सर्व.सं. 390
						द. सर्व.सं. 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 390
		759	0.73	-	0.73	उ. सर्व.सं. रोड
						द. सर्व.सं. 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 390
		760	0.78	-	0.78	उ. सर्व.सं. 390
						द. सर्व.सं. 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 390
		761	1.00	-	1.00	उ. सर्व.सं. 390
						द. सर्व.सं. 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 390
		762	0.75	-	0.75	उ. सर्व.सं. 390
						द. सर्व.सं. 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 390
		763	0.54	-	0.54	उ. सर्व.सं. 390
						द. सर्व.सं. 390
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 390
		79	34.40	-	34.40	उ. सर्व.सं. 23,766
						द. अंबापानी की ग्राम सीमा
						पू. सर्व.सं. 88,89,90,119,146 & 147
						प. सर्व.सं. 53,54,55,75,76 & 78
		742/2	0.16	-	0.16	उ. सर्व.सं. 390
						द. सर्व.सं. 742/1
						पू. सर्व.सं. 390
						प. सर्व.सं. 390
		Total:-	462.16	608.64	1070.80	
जिला : तापी		तालुका : ब्यारा				
13	चूनावादी	चूनावादी ग्राम के सभी सर्व.सं. (सर्व.सं. 158 को छोड़कर)	-	522.69	522.69	उ. सर्व.सं. 158
						द. सर्व.सं. अंबिका नदी
						पू. सर्व.सं. 158
						प. बोरकछ की ग्राम सीमा
		158	982.81	0	982.81	उ. बेसानेल की ग्राम सीमा
						द. अंबिका नदी
						पू. दूंगारदा की ग्राम सीमा
						प. बोरकछ की ग्राम सीमा
		योग :-	982.81	522.69	1505.50	
		कुल योग	4726.89	2932.58	7659.47	

उपबंध-III
(पैरा 3 देखें)

पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के आस-पास के क्षेत्र में पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में प्रतिषिद्ध, विनियमित अथवा अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलाप

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञात	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन	हां			घरों के निर्माण अथवा मस्जिद तथा वैयक्तिक उपयोग हेतु आवास हेतु कंटी टाइलों या ईंटों के विनिर्माण के लिए विनियमन से मिट्टी की खुदवाई प्रतिषिद्ध नहीं होगी।
2.	वृक्षों की कटाई		हां		उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति से
3.	आरा मशीनों की स्थापना	हां			
4.	प्रदूषण के कारक उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मिट्टी, शोर, आदि)	हां			
5.	होटल और रिसॉर्ट की स्थापना		हां		अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार पर्यावास का ध्यान रखा जाता है और वहां वन्यजीव की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
6.	जलावन लकड़ी के वाणिज्यिक उपयोग	हां			होटलों तथा अन्य व्यवसाय स्थापना के लिए
7.	कृषि प्रणालियों के तीव्र परिवर्तन		हां		
8.	वाणिज्यिक जल संसाधन भू-जल संचयन सहित	हां			होटलों तथा अन्य व्यवसाय स्थापना के लिए
9.	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	हां			
10.	बिजली के तारों की स्थापना		हां		भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा

11.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथा			हां	तथापि, इनमें से कुछ क्रियाकलापों के अत्यधिक विस्तार को मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाए
12.	वर्षा जल संचयन			हां	
13.	होटल और लॉज परिसर में बाड़ लगाना	हां			
14.	जैविक खेती			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए
15.	दुकानदार द्वारा पॉलीथीन बैग का प्रयोग	हां			
16.	अक्षय ऊर्जा स्रोत का उपयोग			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए
17.	सड़कों को चौड़ा करना		हां		इसे उपयुक्त ईआईए तथा उपशमन उपायों के अनुसार किया जाए।
18.	रात में वाहनों का यातायात		हां		वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु
19.	विदेशी प्रजातियों का रखना	हां			
20.	किसी भी खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां			
21.	पर्यटन से संबंधित कार्यकलाप जैसे कि नेशनल पार्क से ऊपर एयरक्राफ्ट और गर्म हवा के गुब्बारे की उड़ान	हां			
22.	पहाड़ी ढलानों और नदी के किनारों की सुरक्षा		हां		मास्टर प्लान के अनुसार
23.	प्राकृतिक जल निकासों या स्थलीय क्षेत्र में अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट का विसर्जन	हां			
24.	हवा और वाहनों से होने वाले प्रदूषण		हां		
25.	साइन बोर्ड और होर्डिंग		हां		
26.	सभी कार्यकलापों हेतु हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए

[फा. सं. 25/5/2012-ईएसजेड/आरई]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2012

S.O. 1258(E).—Whereas, the Vansda National Park is a contiguous forest tract with good biodiversity forming with the Dangs forest towards its Eastern side, the forests of Valsada district also on the Southern border and the forest areas of Unai range of Vyara division. The major portion of the park forms a part of Ambika catchments;

AND WHEREAS, the area harboured population of tigers in the past and harbours species like Spotted Deer, Palm Civet, Small Indian Civet, Barking Deer, Four Horned Antelope, Wild Boar, Flying Squirrel, Rusty Spotted Cat, Leopard Cat and many species of rodents, reptiles and amphibians. The area has several bird species typical of the Western Ghats and the moist nature of the locality has facilitated occurrence of variety of shrubs and herbs of immense medicinal value and also many kinds of orchids, lichens and ferns exist in the forest making it unique in flora;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Vansda National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view by habitat management aiming at improving and preserving the genetic resources of Vansda National Park, reintroduction and rehabilitation of local species through breeding programmes;

And whereas, a draft notification under sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1267(E), dated the 1st June, 2011, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, , copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 1st June, 2011;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area upto 5 kilometers from the boundary of the protected area of Vansda National Park, enclosed within the boundary described below in the

in the State of Gujarat as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Vansda Eco-sensitive Zone):-

1. Boundaries of Vansda Eco-sensitive Zone. –

- (a) The Vansda National Park in Vansda Taluka, Valsad District is located between 20° 51' 16" and 21° 21' 22" N latitude and between 73° 20' 30" and 73° 31' 20" E longitudes; which has hilly terrain having moderate altitudes and are extensions of Sahyadri range;
- (b) the range of radius of the Eco-sensitive zone is 0-5 kilometers on all sides and mean distance is 2 kilometers surrounding the Protected Area;
- (c) the Park represents the Northern zone of the Western Ghat in Gujarat State along with Purna Wildlife Sanctuary;
- (d) the Vansda National Park and the Purna Wildlife Sanctuary together form 4.2% of the total geographical area of the forests in the Western Ghat zone represented in Gujarat;
- (e) the Map and boundary Global Positioning System points of Vansda National Park and Vansda Eco-sensitive Zone are appended to this notification as **Annexure I** and the list of the villages falling within Vansda Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Vansda Eco-sensitive Zone. –

- (1) A Zonal Master Plan for the Vansda Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as are specified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the law relating to town and country planning for the time being in force in the State, the divisional working plans and the guidelines issued by Central Government, within a period of two years from the date of this notification and approved by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.
- (2) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue and the Gujarat State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it.
- (3) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (5) No change of land use from green uses such as tea gardens, horticulture areas, agriculture, parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan. However, to meet the residential needs of the local residents due to the natural growth of existing local population, strictly limited conversion of agricultural lands may be permitted, with the prior approval of the State Government.
- (6) All the human habitation areas with populations of 5000 and above shall have Area Development Plan and be prepared under the guidance of local self Government.
- (7) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Ministry of Environment and Forests all new constructions and other

developmental activities shall be referred to the Ministry of Environment and Forests by the Monitoring Committee as per sub-para (4) of paragraph 4 of the notification.

- (8) There shall be no consequential reduction in Green area such as forest area, agricultural area, etc. and the unused or unproductive agricultural areas may be re-forested.
- (9) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for any decision to be taken by them.
- (10) The Central Government and the State Government may specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone. –

All activities in the Vansda Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986). Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-sensitive Zone shall be regulated in accordance with **Annexure III** to this notification.

(1) **Industrial Units:** On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone and the non-polluting industries in the region may be considered with the provision of minimum of 50 meter wide green belt;

(2) **Quarrying and Mining:** (a) No mining and crushing shall be allowed within the Eco-sensitive Zone; provided that the quarrying of sand for local use in river beds in Tapi and Navsari Districts may be permitted at selected sites in consultation with Forest and Environment Departments with due safe guards, as per the existing rules and regulation prevailing for the purpose;

(b) no fresh mining lease shall be granted in eco-sensitive zone and the existing mining leases if any shall be phased out with the term of current lease and no extension of those mining lease shall be allowed;

Provided that the permission to collect sand and stone from river bed for local use at locations shall be permitted at sites approved vide no. 8-104, 89-FC dated 26/07/1990 under FCA-1980 by the Ministry of Environment and Forests.

(3) **Trees:** Felling of trees on forest should be as per the Working Plan or Management Plan approved by the Competent Authority and the felling of trees on private or revenue lands may be allowed in accordance with the State regulations.

(4) **Tourism:** Tourism activities shall be as per the Tourism Master Plan which shall emphasize on ecotourism, eco-education and eco-development and be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Department of Environment and Forest and shall be a component of the Zonal Master Plan.

(5) Ground Water:

- (a) Extraction of ground water for bona-fide agricultural and domestic consumption of the occupier of land shall be allowed.

- (b) Extraction of ground water for industrial, commercial use shall require prior written permission, including the amount that can be extracted, from the State Ground Water Board.
- (c) Appropriate steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water, including from agriculture activities.

(6) Use of Plastics: No person shall use plastic carry bags within the Eco-sensitive zone area and the disposal of plastic articles shall be strictly regulated.

(7) Noise pollution: The Environment Department or the State Forest Department, Gujarat shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(8) Discharge of effluents: No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body or on land within the Eco-sensitive Zone and the treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(9) Solid Wastes: (a) The solid waste disposal shall be carried out in accordance with the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified by the Central Government vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000, as amended from time to time.

- (b) (i) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (ii) the biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iii) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone; and
- (iv) no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Natural Springs: The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

(11) Awareness: The state Environment and Forests Department shall regularly carried out nature education and environmental awareness campaigns in each village falling in Eco-sensitive Zone, highlighting the importance and usefulness of the Wildlife Sanctuary.

4. Monitoring Committee. —

- (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Vansda Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification.
- (2) The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1) above, shall consist of not more than ten members who shall represent the following, namely:-


- (a) Collector, Valsad – Chairman;
 - (b) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
 - (c) one representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of India – Member;
 - (d) Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Valsad – Member;
 - (e) Senior Town Planner of the area – Member;
 - (f) a representative of the Department of Forests and Environment, Government of Gujarat – Member;
 - (g) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
 - (h) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the National Park), Valsad – Member Secretary.
- (3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification.
 - (4) In case of activities requiring prior permission, under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Monitoring Committee shall refer all such matters to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior clearances under the provisions of the said notification.
 - (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (6) The Chairman or the Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in Ministry of Environment and Forests.
 - (8) The Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the Monitoring Committee for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

ANNEXURE - I

[See paragraph 1 (e)]

**Map and boundary Global Positioning System points of Vansda National
Park and Vansda Eco-sensitive Zone.**

Eco Sensitive Zonemap Of Vansda National Park



Boundary Global Position System of Vansada National Park

Sr. No.	Name of Village	Latitude	Longitude
1.	Kharjai	20°47'54.504"N	73°26'42.182"E
2.	Kevadi	20°46'49.921"N	73°26'18.918"E
3.	Ambabari	20°46'5.617"N	73°26'38.051"E
4.	Tadpada	20°45'17.141"N	73°26'46.594"E
5.	Khambhala	20°45'32.541"N	73°28'16.496"E
6.	Waghai	20°45'59.192"N	73°29'22.54"E
7.	Kilad	20°47'21.778"N	73°29'4.644"E
8.	Sadaddevi	20°48'3.863"N	73°28'1.309"E

Boundary Global Position System points of Eco-sensitive Zone

Sr. No.	Name of Village	Latitude	Longitude
1.	Kharjai	20°49'6.321"N	73°25' 15.752"E
2.	Kevadi/Ambabari	20°46'41.459"N	73°25' 23.972"E
3.	Navtad	20°44'32.581"N	73°26' 7.346"E
4.	Khambhla	20°43'22.768"N	73°26' 46.034"E
5.	Uga	20°43'24.185"N	73°29' 15.416"E
6.	Ambapada	20°43'53.188"N	73°29' 55.364"E
7.	Waghai	20°45'45.008"N	73°30'12.019"E
8.	Gira(Dabdar)	20°48'14.567"N	73°31'35.459"E
9.	Gira (Dabdar)	20°48'35.55"N	73°30'57.882"E
10.	Dugarda	20°48'15.464"N	73°29'34.149"E
11.	Vati	20°48'51.807"N	73°27'56.546"E
12.	Chunavadi	20°49'40.6"N	73°26'4.535"E

ANNEXURE - II

[See paragraph 1 (e)]

List of villages falling within the areas of Vansda Eco-sensitive Zone**A. Taluka Ahwa**

Dungarda, Waghai, Gira, Ambapada (Waghai), Uga

B. Taluka Vansda

Tadpada, Kharjai, Kevdi, Navtad, Vati, Ambabari, Khambhla

C. Taluka Vayara

Chunavadi

Details of the Proposed Villages

Sr.No.	Name of Village	Name of Taluka	Proposed Area (ha)	Remarks
1.	Dungarda	Ahwa	88.48	Dang Dist.
2.	Waghaj	Ahwa	229.71	Dang Dist.
3.	Gira	Ahwa	62.18	Dang Dist.
4.	Ambapada(Waghaj)	Ahwa	166.17	Dang Dist.
5.	Uga	Ahwa	147.03	Dang Dist.
6.	Tadpada	Vansada	65.48	Navsari Dist.
7.	Kharjai	Vansada	262.45	Navsari Dist.
8.	Kevdi	Vansada	194.83	Navsari Dist.
9.	Navtad	Vansada	236.38	Navsari Dist.
10.	Vati	Vansada	130.85	Navsari Dist.
11.	Ambari	Vansada	217.69	Navsari Dist.
12.	Khabhla	Vansada	608.64	Navsari Dist.
13.	Kalaamba	Vansada	66.61	Navsari Dist.
14.	Sadaddevi	Vansada	24.16	Navsari Dist.
15.	Kilad	Vansada	387.61	Navsari Dist.
16.	Chunavadi	Vyara	522.69	Tapi Dist.
Total ::			3410.96	

List of Villages**SCHEDULES**

Districts: Dang

Taluka: Ahwa

South Dangs Division Ahwa

Sr. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in Ha.)			Boundary
			Forest Area	Non-Forest Area	Total Area	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dungarda	1	0.30	-	0.30	N S.no.8 S S.no.50&Villagesite E S.no.5&4 W Ambika River
		2	0.07	-	0.07	N S.no.4 S. Villagesite E S.no.3 W S.no.1
		3	0.08	-	0.08	N S.no.4 S Villagesite E Road W S.no.2
		4	0.76	-	0.76	N S.no.5 S S.no.2&3 E S.no.5 W S.no.1
		5	0.98	-	0.98	N S.no.8&Road S S.no.1&4

						W S. No.49
		43	-	1.99	1.99	N S. No.45
						S S. No.42
						E S. No.44
						W S. No.50
		44	-	2.91	2.91	N S. No.41
						S S. No.41
						E S. No.39
						W S. No.48
		45	-	3.76	3.76	N S. No.8
						S S. No.47
						E S. No.44
						W S. No.46
		46	-	0.58	0.58	N S. No.7&Road
						S S. No.47
						E S. No.45
						W S. No.46
		47	-	0.39	0.39	N S. No.31,30
						S S. No.48
						E S. No.46
						W Road & Gamtal
		48	-	2.46	2.46	N S. No.47
						S S. No.43
						E S. No.44
						W S. No.50
		49	2.25	-	2.25	N S. No.50
						S S. No.53
						E Road
						W Ambica river
		50	-	2.68	2.68	N Gamtal of Dugrda
						S S. No.49
						E S. No.42
		51	-	0.43	0.43	N S.No.9
						S S.No.10
						E S.No.10
						W S.No.10
		52	-	2.99	2.99	N Village Boundary of Borigaatha
						S S. No.19
						E S. No.53
						W S. No.16 Gamtal
		53	168.07	-	168.07	N S.
						No.49,42,41,36,37,38
						S Village Boundary of Wagahi

						E Village Boundary of Gira
						W Village Boundary of Kekipada
		Total:	194.65	88.48	283.13	
2	Waghai	All S.No. of Village Waghai (Except S.No.158/1-PF) 158/1		229.71	229.71	N Village Boundary of Gira
						S Village Boundary of Ambapada
						E Village Boundary of Dodipada
						W Ambika River
			0.23	-	0.23	N S. No.32
						S S. No.45
						E S. No.44
						W S. No.46
		Total:-	0.23	229.71	229.94	
3	Gira	All S.No. of Village Gira (Except S.No.4,8,10,12,20,22, 23)	-	62.18	62.18	N Village Boundary of Dabdar
						S Ambika River
						E Ambika River
						W S.No.20
		4	1.98	-	1.98	N Village Boundary of Dabdar
						S S. No.3
						E S. No.5
						W S. No.20
		8	0.06	-	0.06	N S. No.6
						S S. No.9
						E Ambika River
						W S. No.7
		10	4.25	-	4.25	N S. No.21
						S S. No.11
						E Ambika River
						W S. No.11
		12	3.56	-	3.56	N S. No.11
						S S. No.13
						E Ambika River
						W S. No. 18
		20	350.46	-	350.46	N Village Boundary of Borigaatha

						S Village Boundary of Waghai
						E Ambika River
						W Village Boundary of Dungarda
		22	18.27	-	18.27	N Village Boundary of Dungarda
						S Village Boundary of Waghai
						E S. No.20
						W S. No.23
		23	25.98	-	25.98	N Village Boundary of Dungarda
						S Village Bounary of Waghai
						E S. No.22
						W Ambika River
		Total:-	404.56	62.18	466.74	
4	Ambapada (Waghai)	All S.No. of Village Ambapada (Waghai) (Except S.No.6,7,9,12,14,20, 21,22,23,26,28,31,42, 48,50,53,56,61,65,70, 73)	-	166.17	166.17	N Village Boundary of Waghai
						S Ambika River
						E Village Boundary of Dokpatal
						W Ambika River
		6	2.16	-	2.16	N Ambika River
						S S. No.4
						E S. No.8&5
						W Ambika River
		7	0.09	-	0.09	N Ambika River
						S S. No.6
						E S. No.6
						W Ambika River
		9	4.29	-	4.29	N Ambika River
						S S. No.2&10
						E S. No.10&11
						W S. No.5&8
		12	3.91	-	3.91	N S. No.20&Ambika River
						S S. No.10,15&16
						E S. No.13&20

						E S. No.47&49
						W Ambika River
		50	1.03	-	1.03	N S. No.52
						S S. No.49&51
						E S. No.52
						W Ambika River
		53	0.21	-	0.21	N S. No.56
						S S. No.52
						E S. No.54
						W Ambika River
		56	0.39	-	0.39	N S. No.57
						S S. No.54
						E S. No.55
						W Ambika River
		61	0.08	-	0.08	N S. No.62
						S Road
						E S. No.62
						W S. No.60
		65	0.05	-	0.05	N S. No.63
						S S. No.67
						E S. No.66
						W S. No.64
		70	1.18	-	1.18	N S. No.68
						S Ambika River
						E S. No.68
						W S. No.69&71
		73	1.32	-	1.32	N Village side & Road
						S Ambika River
						E S.No.69&72
						W S. No.74& Village side
		Total:	352.08	166.17	518.25	
5	Uga	All S.No. of Village Uga (Except S.No. 7,9,11,18,26,30,32,34, 37,39,46,50,53,64,65, 67,70,75,76)	-	147.03	147.03	N Village Boundary of Khamba and Kilad
						S Village Boundary of Vanarchound and Chinchali
						E Village Boundary of Vanarchound
						W Village Boundary of Khambla
		9	0.62	-	0.62	N S. No.10

						S S. No.7
						E S. No.10
						W S. No.7
		11	7.41	-	7.41	N S. No.25
						S S. No.6,3
						E S. No.2,12,20
						W S. No.8,10
		18	1.08	-	1.08	N S. No.19
						S S. No.17
						E S. No.45
						W S. No.19
		26	1.03	-	1.03	N S. No.27
						S S. No.25
						E S. No.25
						W S. No.7
		30	0.34	-	0.34	N S. No.7
						S S. No.31
						E S. No.7
						W S. No.29
		32	1.95	-	1.95	N Village Boundary of Kilad
						S S. No.35
						E S. No.36
						W S. No.31
		34	1.71	-	1.71	N S. No.35
						S S. No.24
						E S. No.38
						W S. No.25
		37	0.34	-	0.34	N S. No.36
						S S. No.38
						E Ambica River
						W S. No.36
		39	1.07	-	1.07	N S. No.38
						S S. No.41
						E S. No.40
						W S. No.38
		46	0.11	-	0.11	N S. No.47
						S S. No.45
						E S. No.47
						W S. No.44
		50	0.74	-	0.74	N S. No.48
						S S. No.51
						E S. No.64
						W S. No.49
		53	0.27	-	0.27	N S. No.52

		2	-	1.44	1.44	N S.No.3
						S S.No.55
						E S.No.56
						W S.No.5
		3	-	1.17	1.17	N Road
						S S.No.2
						E S.No.1
						W S.No.4
		4	-	0.76	0.76	N Road
						S S.No.2
						E S.No.3
						W S.No.5
		5	-	1.94	1.94	N S.No.4&Road
						S S.No.13
						E S.No.2
						W S.No.6
		6	-	0.92	0.92	N Road
						N S.No.9
						S S.No.5
						E S.No.8
		7	-	0.66	0.66	W Road
						N S.no.29
						S S.no.8
						E S.no.29
		8	-	0.36	0.36	W Road
						N S.no.9
						S S.no.5
						E S.no.7
		9	-	1.17	1.17	W S.no.8
						N S.no.10
						S S.no.5
						E S.no.29
		10	-	1.01	1.01	W S.no.9
						N S.no.11
						S S.no.5
						E S.no.29
		11	-	0.62	0.62	N S.no.10
						S S.no.13
						E S.no.13
						W S.no.27
		12	-	0.02	0.02	N S.no.13
						S S.no.13
						E S.no.13
						W S.no.11
		13	-	1.85	1.85	N S.no.5

						S S.no.16
						E S.no.54
						W S.no.11
		14	-	1.44	1.44	N S.no.13
						S S.no.15
						E S.no.16
						W S.no.27
		15	-	0.81	0.81	N S.no.14
						S S.no.1
						E S.no.16
						W S.no.18
		16	-	2.16	2.16	N S.no.13
						S S.no.17
						E S.no.52
						W S.no.15
		17	-	3.30	3.30	N S.no.15
						S Village boundary of Khambla
						E S.no.52
						W S.no.19
		18	-	0.27	0.27	N S.no.17
						S S.no.19
						E S.no.17
						W S.no.20
		19	-	0.90	0.90	N S.no.18
						S Village boundary of Khambla
						E S.no.17
						W S.no.20
		20	-	1.18	1.18	N S.no.24
						S village boundary of Khambla
						E S.no.19
						W S.no.21
		21	-	0.98	0.98	N S.no.23
						S village boundary of Khambla
						E S.no.20
						W S.no.22
		22	-	2.95	2.95	N S.no.35
						S village boundary of Khambla
						E S.no.21
						W S.no.35
		23	-	0.94	0.94	N. S.no.25

	56	-	1.15	1.15	N S.no. 1
					S S.no. 47
					E S.no. 43
					W S.no. 2
	57	61.00	-	61.00	N S.no. 48
					S village boundary of Khambala
					E S.no. 58
					W S.no. 50
	58	0.24	-	0.24	N S.no. 48
					S village boundary of Khambala
					E S.no. 59
					W S.no. 57
	59	0.58	-	0.58	N S.no. 48 & 60
					S village boundary of Khambala
					E village boundary of Khambala
					W S.no. 58
	60	2.02	-	2.02	N S.no. 63
					S S.no. 59
					E village boundary of Khambala
					W S.no. 48 & 61
	61	1.02	-	1.02	N S.no. 62
					S S.no. 48
					E S.no. 60 & 63
					W S.no. 47
	62	1.48	-	1.48	N S.no. 64
					S S.no. 61
					E S.no. 63
					W S.no. 43 & 47
	63	1.60	-	1.60	N S.no. 65 & 66
					S S.no. 60
					E village boundary of Khambala
					W S.no. 62 & 64
	64	1.23	-	1.23	N S.no. 44
					S S.no. 62
					E S.no. 63 & 65
					W S.no. 43 & 44
	65	1.03	-	1.03	N S.no. 45
					S S.no. 63
					E S.no. 66

						W S.no. 84
		88	0.86	-	0.86	N S.no. 42
						S S.no. 90
						E S.no. 89
						W S.no. 87
		89	0.77	-	0.77	N S.no. 42
						S S.no. 90
						E S.no. 42
						W S.no. 88
		90	1.64	-	1.64	N S.no. 89
						S S.no. 42
						E. S.no. 42
						W S.no. 86
		91	0.05	-	0.05	N S.no. 42
						S S.no. 42
						E S.no. 42
						W S.no. 90
		92	0.31	-	0.31	N Road
						S S.no. 93
						E S.no. 29
						W S.no. 39
		93	1.26	-	1.26	N S.no. 92
						S S.no. 1,39
						E S.No.32
						W S.No.39
		Total:-	279.47	65.48	344.95	
7	Kharjai	All S.No.	-	262.45	262.45	W Ambica River & Village Boundary of Chunavadi
						N Village Boundary of Kevadi
						S Village Boundary of Kalamba
						E Village Boundary of Sara
		Total:-	0.00	262.45	262.45	
8	Kevadi	All S.No.	-	194.83	194.83	W Village Boundary of Kharjai
						N Village Boundary of Ambabari
						S Village Boundary of Kalamba
						E Village Boundary of Sara
		Total	0.00	194.83	194.83	

9	Navtad	All S.No.	-	236.38	236.38	W Village Boundary of Ambabari
						N Village Boundary of Kapdvan
						S Village Boundary of Ambabari & Khambhala
						E Village Boundry of Mahuvas & Dhakmal
		Total	0.00	236.38	236.38	
10	Vati	All S.No. of Village Vati (Except S.No. 8 to 14, 62 to 70, 73 to 75 & 93, 106 to 15-RF)	-	130.85	130.85	N Khapri River & Gaikavadi Village boundry of Chunavadi, Dungda & Raigadha, Ta: Vyara
						S Ibhara River
						E Village boundary of Zaria & Bongavatha, Ta: Dangs
						W Khapri River & Village Boundary of Chunavbadi
		8	0.10	-	0.10	N S.No.115
						S S.No.115
						E S.No.115
						W S.No.115
		9	1.23	-	1.23	N S.No.10
						S S.No.115
						E S.No.115
						W S.No.115
		10	3.31	-	3.31	N S.No.13 & 12
						S S.No.9
						E Road
						W S.No.115
		11	0.26	-	0.26	N S.No.115
						S Road
						E Village Boundary of Zaria
						W S.No.12
		12	3.22	-	3.22	N S.No.115
						S S.No.115
						E S.No.11
						W S.No.13
		13	4.06	-	4.06	N S.No.115
						S S.No.10, 115
						E S.No.12

	74	1.20	-	1.20	N S. no. 115
					S S. no. 75
					E S. no. 115
					W S. no. 115
	75	2.22	-	2.22	N S. no. 74
					S S. no. 115
					E S. No 115
					W S. No 115
	93	1.22	-	1.22	N S. No. 115
					S S. no. 115
					E S. no 115
					W S. no 115
	106	4.14	-	4.14	N S. no. 115
					S. S. no. 115
					E. S. no. 115
					W S. no. 115
	107	0.28	-	0.28	N S. no. 108
					S S. no. 115
					E S. no. 115
					W S. no. 115
	108	0.38	-	0.38	N S. no. 115
					S S. no. 107
					E S. no. 115
					W S. no. 115
	109	1.18	-	1.18	N S. no. 115
					S S. no 115
					E S. no. 115
					W S. no 115
					W S. no. 110
	110	1.26	-	1.26	N S. no. 115
					S S no. 115
					E S. no. 109
					W S. no. 111
	111	2.09	-	2.09	N S. no. 115
					S S. no. 115
					E S. no. 110
					W S. no 112
	112	3.17	-	3.17	N S. no 115
					S S. no. 115
					E S. no. 111
					W S. no. 113 & 114
	113	2.33	-	2.33	N S. no 115
					S S. no 115
					E. S. no 112
					W S no. 115

		114	0.31	-	031	N S. no. 115
						S S. no.115
						E S. no.112
						W S. no. 115
		115	1141.35	-	1141.35	N Village Boundary of Dungarda Raigadh Khapri River
						S Village Boundary of Sadadevi, Kalaamba
						E Village Boundary of Borinagovtha & Zavda
						W Village Boundary of Chunavadi & Khapri River
		Total:-	1190.86	130.85	1321.71	
11	Ambabari	1	-	1.30	1.30	N S. no. 3
						S S. no 19
						E S. no 116
						W S. no 9
		2	-	0.02	0.02	N S. no 93
						S S. no 116
						E S.no. 112
		3	-	0.03	0.03	N S.no. 4
						S S.no. 9
						E S.no. 2
						W S.no. 5
		4	-	0.02	0.02	N S.no. 93
						S S.no. 3
						E S.no. 2
						W SNo.5
		5	-	0.03	0.03	N S.no. 92
						S S.no. 6
						E S.no. 4
						W S.no. 8
		6	-	0.03	0.03	N S.no. 5
						S S.no. 9
						E S.no. 3
						W S.no. 7
		7	-	0.02	0.02	N S.no. 5
						S S.no. 9
						E S.no. 9
						W S.no. 9
		8	-	0.02	0.02	N S.no. 92

						S S.no. 9
						E S.no. 92
						W S.No.46
		9	-	0.02	0.02	N S.no. 6
						S S.no. 132
						E S.no. 1
						W S.no. 10
		10	-	0.49	0.49	N S.no. 9
						S S.no. 11
						E S.no. 9
						W S.no. 11
		11	-	4.43	4.43	N S.no. 9
						S S.no. 12
						E S.no. 10
						W S.no. 13
		12	-	1.82	1.82	N S.no. 13
						S S.no. 131
						E S.no. 132
						W.S.No.15
		13	-	1.52	1.52	N S.no. 46
						S S.no. 14
						E S.no. 11
						W S.no. 46
		14	-	0.95	0.95	N S.no. 13
						S Road
						E S.no. 11
						W S.no. 46
		15	-	1.64	1.64	N Road
						S Village Boundary of Navtad
						E Road
						W S.no. 16
		16	-	3.25	3.25	N Road
						S Village Boundary of Navtad
						E S.no. 15
						W S.no. 17
		17	-	0.54	0.54	N S.no. 18
						S Village Boundary of Navtad
						E S.no. 16
						W S.No.18
		18	-	6.42	6.42	N Road
						S Village Boundary of Navtad

		29	-	1.57	1.57	N S.no. 36
						S Village Boundary of Navtad
						E S.no. 28
						W S.no. 30
		30	-	1.24	1.24	N S.no. 35
						S Village Boundary of Navtad
						E S.no. 29
						W S.No.32
		31	-	0.92	0.92	N S.no. 32
						S Village Boundary of Navtad
						E S.no. 30
						W Village Boundary of Navtad
		32	-	1.11	1.11	N S.no. 35
						S S.no. 31
						E S.no. 30
						W S.no. 33
		33	-	0.40	0.40	N S.no. 34
						S S.no. 31
						E S.no. 32
						W Village Boundary of Mahuvas
		34	-	0.80	0.80	N Road
						S S.no. 32
						E S.no. 35
						W S.No.33
		35	-	1.42	1.42	N Road
						S S.no. 32
						E S.no. 37
						W S.no. 34
		36	-	0.41	0.41	N S.no. 37
						S S.no. 29
						E S.no. 25
						W S.no. 35
		37	-	0.98	0.98	N Road
						S S.no. 36
						E S.no. 24
						W S.no. 35
		38	-	2.18	2.18	N S.no. 54
						S Road
						E S.no. 39
						W Village Boundary of

						W S.no.50
		50	-	1.16	1.16	N S.no.54
						S S.no.48
						E S.no.49
						W S.no.51
		51	-	1.11	1.11	N S.no.54
						S S.no.42
						E S.no.50
						W S.no.52
		52	-	0.94	0.94	N S.no.54
						S S.no.53
						E S.no.51
						W S.no.54
		53	-	0.65	0.65	N S.no.52
						S S.no.42
						E S.no.42
						W S.no.54
		54	21.82	-	21.82	N
						S.no.58,55,74,75,80,81
						S
						S.no.38,39,40,50,51,52
						E S.no.80
						W Village Boundary of Mahuvas
		55	-	2.34	2.34	N S.no.54
						S S.no.54
						E S.no.54
						W S.no.56
		56	-	1.13	1.13	N S.no.61
						S S.no.54
						E S.no.55
						W S.no.57
		57	-	1.28	1.28	N S.no.60
						S S.no.54
						E S.no.56
						W S.no.58
		58	-	1.17	1.17	N S.no.59
						S S.no.54
						E S.no.57
						W Village Boundary of Mahuvas
		59	-	1.15	1.15	N S.no.66
						S S.no.58
						E S.no.60
						W S.no.71

	60	-	0.93	0.93	N S.no.65
					S S.no.57
					E S.no.61
					W S.no.59
	61	-	2.55	2.55	N S.no.63
					S S.no.55
					E S.no.74
					W S.no.60
	62	-	0.25	0.25	N S.no.63
					S S.no.61
					E S.no.71
					W S.no.63
	63	-	1.86	1.86	N S.no.74
					S S.no.62
					E S.no.74
					W S.no.64
	64	-	1.39	1.39	N S.no.72
					S S.no.61
					E S.no.63
					W S.no.65
	65	-	1.64	1.64	N S.no.68
					S S.no.60
					E S.no.64
					W S.no.66
	66	-	1.46	1.46	N S.no.67
					S S.no.59
					E S.no.65
					W S.no.71
	67	-	1.10	1.10	N S.no.69
					S S.no.66
					E S.no.68
					W S.no.71
	68	-	0.97	0.97	N S.no.72
					S S.no.65
					E S.no.72
					W S.no.67
	69	-	1.27	1.27	N S.no.70
					S S.no.67
					E S.no.72
					W S.no.71
	70	-	1.10	1.10	N S.no.71
					S S.no.69
					E S.no.72
					W S.no.71
	71	9.47	-	9.47	N S.no.88

						S S.no.70&72
						E S.no.73
						W village Boundary of Mahuvas
		72	-	7.39	7.39	N S.no.71
						S S.no.64
						E S.no.74
						W S.no.68
		73	-	5.90	5.90	N S.no.88
						S S.no.74
						E S.no.88
						W S.no.71
		74	-	6.95	6.95	N S.no.73
						S S.no.54
						E S.no.75
						W S.no.72
		75	-	2.97	2.97	N S.no.76
						S S.no.54
						E S.no.80
						W S.no.74
		76	-	1.61	1.61	N S.no.88
						S S.no.75
						E S.no.77
						W S.no.73
		77	-	1.05	1.05	N S.no.88
						S S.no.78
						E S.no.79
						W S.no.75
		78	-	0.81	0.81	N S.no.77
						S S.no.80
						E S.no.79
						W S.no.75
		79	-	1.43	1.43	N S. no.84
						S S.no.80
						E S.no.81
						W S.no.78
		80	-	1.51	1.51	N S.no.79
						S S.no.54
						E S.no.54
						W S.no.75
		81	-	1.58	1.58	N S.no.83
						S S.no.54
						E S.no.83
						W S.no.79
		82	-	1.10	1.10	N S.no.83

						S S.no.90
						E S.no.90
						W S.no.54
		83	-	2.05	2.05	N S.no.84
						S S.no.82
						E S.no.85
						W S.no.81
		84	-	2.57	2.57	N S.no.88
						S S.no.83
						E S.no.87
						W S.no.79
		85	-	0.86	0.86	N S.no.86
						S S.no.89
						E S.no.86
						W S.no.83
		86	-	0.95	0.95	N S.no.87
						S S.no.85
						E S.no.96
						W S.no.84
		87	-	1.74	1.74	N S.no.88
						S S.no.86
						E S.no.96
						W S.no.843
		88	68.49	-	68.49	N Village Boundary of Kevadi
						S S.no.
						E S.no.126
						W S.no.73
		89	-	1.45	1.45	N S.no.85
						S S.no.94
						E S.no.95
						W S.no.90
		90	-	3.26	3.26	N S.no.83
						S S.no.92
						E S.no.94
						W S.no.54
		91	-	0.42	0.42	N S.no.90
						S S.no.92
						E S.no.92
						W S.no.49
		92	-	4.17	4.17	N S.no.90
						S S.no.8
						E S.no.93
						W S.no.48
		93	-	7.60	7.60	N S.no.95

						S S.no.2
						E S.no.112
						W S.no.92
	94	-	3.21	3.21		N S.no.89
						S S.no.93
						E S.no.93
						W S.no.90
	95	-	2.20	2.20		N S.no.96
						S S.no.93
						E S.no.96
						W S.no.89
	96	12.83	-	12.83		N S.no.126&88
						S S.no.95
						E S.no.126
						W S.no.88&Kaveri Rivar
	97	-	0.58	0.58		N S.no.96
						S S.no.93
						E S.no.98
						W S.no.95
	98	-	0.86	0.86		N S.no.100
						S S.no.112
						E S.no.99
						W S.no.93
	99	-	1.00	1.00		N S.no.100
						S S.no.112
						E S.no.107
						W S.no.98
	100	-	1.32	1.32		N S.no.101
						S S.no.99
						E S.no.102
						W S.no.126
	101	-	1.04	1.04		N S.no.126
						S S.no.100
						E S.no.102
						W S.no.126
	102	-	3.04	3.04		N S.no.126
						S S.no.106
						E S.no.103
						W S.no.101
	103	-	2.04	2.04		N S.no.126
						S S.no.105
						E S.no.126
						W S.no.102
	104	-	1.26	1.26		N S.no.103

						E S.no.114
						W S.no.116
		116	-	0.76	0.76	N S.no.2
						S S.no.118
						E S.no.115
						W S.no.1
		117	-	0.76	0.76	N S.no.116
						S S.no.112
						E S.no.118
						W S.no.1
		118	-	1.10	1.10	N S.no.116
						S S.no.121
						E S.no.120
						W S.no.117
		119	-	0.28	0.28	N S.no.114
						S S.no.120
						E S.no.114
						W S.no.118
		120	-	0.39	0.39	N S.no.119
						S S.no.121
						E S.no.114
						W S.no.118
		121	-	1.14	1.14	N S.no.120
						S S.no.126
						E S.no.126
						W S.no.122
		122	-	0.87	0.87	N S.no.117
						S S.no.123
						E S.no.121
						W S.no.19
		123	-	1.22	1.22	N S.no.122
						S S.no.125
						E S.no.126
						W S.no.131
		124	-	0.80	0.80	N S.no.123
						S S.no.131
						E S.no.125
						W S.no.131
		125	-	0.97	0.97	N S.no.123
						S S.no.131
						E S.no.126
						W S.no.124
		126	395.27	-	395.27	N Village Boundary of Kevadi
						S Village Boundary of

		748,749				
		750,751				
		758,759				
		760,761,				
		762,763				
		79,742/2)				
		390pt	408.15	-	408.15	N Village Boundary of Tadpada&Waghai
						S Village Boundary of Bilmoda
						E Village Boundary of Dang
						W S.no. 326,751,428,762&Khad i
		392	0.41	-	0.41	N S.no.749
						S S.no.390
						E S.no.390
						W S.no.390
		564	0.32	-	0.32	N S.no.565
						S S.no.390
						E S.no.563
						W S.no.390
		565	0.53	-	0.53	N S.no.390
						S S.no.564
						E S.no.563
						W S.no.390
		567	0.98	-	0.98	N S.no.390
						S S.no.568
						E S.no.563
						W S.no.390
		568	0.57	-	0.57	N S.no.567
						S S.no.571
						E S.no.569
						W S.no.390
		569	0.88	-	0.88	N S.no.570
						S S.no.390
						E S.no.390
						W S.no.356
		570	1.05	-	1.05	N S.no.568

1965 4012 - 12

						W S.no.390
		760	0.78	-	0.78	N S.no.390
						S S.no.390
						E S.no.390
						W S.no.390
		761	1.00	-	1.00	N S.no.390
						S S.no.390
						E S.no.390
						W S.no.390
		762	0.75	-	0.75	N S.no.390
						S S.no.390
						E S.no.390
						W S.no.390
		763	0.54	-	0.54	N S.no.390
						S S.no.390
						E S.no.390
						W S.no.390
		79	34.40	-	34.40	N S.no.23,766
						S Village Boundary of Ambapani
						E S.no.88,89,90,119,146 &147
						W S.no.53,54,55,75,76&78
		742/2	0.16	-	0.16	N S.no.390
						S S.no.742/1
						E S.no.390
						W S.no.390
		Total:-	462.16	608.64	1070.80	
Distict: Tapi Taluka: Vyara						
13	Chunavadi	All S.No. Of Village Chunavadi (Except S.No. 158)	-	522.69	522.69	N S.no.158
						S Ambica River
						E S.no.158
						W Village Boundary of Borkach
		158	982.81	0	982.81	N Village Boundary of Besanial
						S Ambica River
						E Village Boundary of Dungarda
						W Village Boundary of Borkach
		Total:-	982.81	522.69	1505.50	
		Grant Total:	4726.89	2932.58	7659.47	

Annexure III
[See paragraph 3]

**Activities to be prohibited, regulated or permitted within the Eco-Sensitive
Zone around Vansda Eco-sensitive Zone**

Sl. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining	Yes			Regulation will not prohibit the digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption
2.	Felling of trees		Yes		With permission from appropriate authority
3.	Setting of saw mills	Yes			
4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	Yes			
5.	Establishment of hotels and resorts		Yes		As per approved master plan, which takes care of habitats allowing no restriction on movement of wild animals
6.	Commercial use of firewood	Yes			For hotels and other business related establishment
7.	Drastic change of agriculture systems		Yes		

8.	Commercial water resources including ground water harvesting	Yes			For hotels and other business related establishment
9.	Establishment of major hydroelectric projects	Yes			
10.	Erection of electrical cables		Yes		Promote underground cabling
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities			Yes	However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per the master plan
12.	Rain Water harvesting			Yes	Should be actively promoted
13.	Fencing of premises of hotels and lodge	Yes			
14.	Organic farming			Yes	Should be actively promoted
15.	Use of polythene bags by shopkeepers	Yes			
16.	Use of renewable energy source			Yes	Should be actively promoted
17.	Widening of roads		Yes		This should be done with proper EIA and mitigation measures
18.	Movement of vehicular traffic at night		Yes		For commercial purpose
19.	Introduction of exotic species	Yes			
20.	Use or production of any hazardous substances	Yes			
21.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any aircraft, hot-air balloons	Yes			
22.	Protection of hill slopes and river banks		Yes		As per master plan

23.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or terrestrial area	Yes			
24.	Air and vehicular pollution		Yes		
25.	Sign boards & hoardings		Yes		
26.	Adoption of green technology for all activities			Yes	Should be actively promoted

[F. No. 25/5/2012-ESZ/RE]

Dr. G.V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'